

इसे वेबसाइट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2011—ज्येष्ठ 20, शक 1933

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशृण।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. ई-5-454-आयएएस-लीब-5-1.—(1) श्री बी. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 24 मई 2011 से दिनांक 28 मई 2011 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 29 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री बी. पी. सिंह की अवकाश अवधि में श्री आई. एस. दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानान्तर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि बैश्य, मुख्य सचिव।

1993

### श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2011

क्र. एफ-9-4-2005-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, भोपाल, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा अपने विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर यथावत बनाए रखेगा तथा यथासंभव उसे और अधिक उन्नत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
खेमराज माहौर, अवर सचिव.

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. एफ-5-8-2007-उन्नीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता हैः—

अनु. न्यायिक अधिकारियों पदस्थापना

क्र. का नाम

(1) (2) (3)

1. श्रीमती पारो रायजाता, विशेष अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता न्यायाधीश एससी/एसटी फोरम, सागर.  
(अत्याचार निवारण अधिनियम) रीवा.

2. श्री मोहम्मद शमीम, अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय फोरम, भोपाल.

क्र. 6 विद्युत् अधिनियम, 2003,  
इन्दौर.

(1)	(2)	(3)
3. श्री श्यामकान्त कुलकर्णी,	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता	
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,	फोरम, छिन्दवाड़ा.	
विशेष न्यायालय क्र. 7, विद्युत्		
अधिनियम, 2003, इन्दौर.		

4. श्री रवि कुमार नायक,	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता
प्रथम अपर, जिला न्यायाधीश,	फोरम, सिवनी.
बड़वानी.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2011

क्र. एफ-5-8-2007-उन्नीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता हैः—

क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम	पदस्थापना	
स्थान		
(1)	(2)	(3)
1. श्री राम प्रकाश शरण,	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता	
अध्यक्ष जिला उपभोक्ता	फोरम, सतना.	
विवाद प्रतितोषण फोरम, सिवनी.		
2. श्री जगत मोहन चतुर्वेदी,	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता	
प्रथम अतिरिक्त, जिला एवं	फोरम, रीवा.	
सत्र न्यायाधीश एवं विशेष		
न्यायाधीश, गुना.		

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. एफ-5-25-97-उन्नीस-2.—राज्य शासन इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-25-97-उन्नीस-2, दिनांक 29 अक्टूबर 2010 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह पंवार को उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया था।

श्री महेन्द्र सिंह पंवार ने निजी व्यस्तता और व्यक्तिगत समय अभाव के कारण त्याग-पत्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। अतः श्री महेन्द्र सिंह पंवार, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, मध्यप्रदेश को अशासकीय सदस्य के पद से दिया गया त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ललित दाहिमा, उपसचिव।

### उर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2011

क्र. एफ-2-14-2011-तेरह.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-3-10-तेरह, दिनांक 7 जनवरी 2011 में मध्यप्रदेश विद्युत् निरीक्षकालय के निम्नानुसार स्थापित नवीन कार्यालयों हेतु बुक ऑफ फाईनेंसिय पार्वर्स 1995 के भाग-1, सेक्षन 1 क्रमांक 3 अनुसार उनके समक्ष दर्शाये अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी घोषित किया जाता है:—

क्र.	नवीन कार्यालय	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	वृत्त-उज्जैन एवं रीवा	अधीक्षण यंत्री (वि.सु.) एवं उपमुख्य विद्युत् निरीक्षक, उज्जैन एवं रीवा।
2.	संभाग-शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना।	कार्यपालन यंत्री (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत् निरीक्षक, शहडोल, सागर, होशंगाबाद एवं गुना।
3.	उपसंभाग-बड़वानी झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी।	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक, बड़वानी, झाबुआ, सिंगरोली, कटनी, मण्डला, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा, राजगढ़, हरदा, अशोक नगर एवं शिवपुरी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव।

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मई 2011

फा. 3(बी) 5-2011-इक्कीस-ब(एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा की परिवीक्षाकाल के दौरान उनके परिवीक्षा में रहते हुए आचरण एवं प्रदर्शन के आधार पर उनका कार्य असंतोषजनक निर्धारित करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने का निर्णय मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की प्रशासनिक फुल कोर्ट मीटिंग दिनांक 21 मई 2011 में लिया गया है।

और मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(सी) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की गई है कि श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त की जाए।

अतः, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए एतद्वारा, श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(सी) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(4) के अन्तर्गत श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) की सेवाएं समाप्त करता है।

यह आदेश श्री नितिन कुमरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, (प्रवेश स्तर) अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (परिवीक्षाधीन) पर निर्वाह होते ही प्रभावशील हो जावेगा।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2011

फा. 3254-प्रस-विधि-2011-इक्कीस-ब(एक).—श्री आर. के. पाण्डे, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सतर्कता), जबलपुर की सेवाएं, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश विधान सभा, सचिवालय को सौंपी जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव।

**किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-06-2011-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/ प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संबंधन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है।

मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की “शर्त क्रमांक (3)” को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

“शर्त क्रमांक (3)—मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अधिसूचित फूड पार्क में स्थापित उपरोक्त शर्त (2) में वर्णित अनुज्ञासिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जिसके द्वारा प्लाट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी। परन्तु “गेहूं” आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिसके द्वारा प्लाट एवं मशीनरी में रुपये 50.00 लाख से ज्यादा का निवेश किया हो को केवल राज्य के किसी भी मण्डी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर ही मण्डी फीस से छूट प्राप्त होगी.”।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 26 मई 2011

क्र. डी-15-02-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 26 मई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

Bhopal, the 26th May 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, have exempted Food Processing Industry/ Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D-15-06-2011-XIV-3, dated 2nd February 2011.

In exercise of powers conferred by sub-section (1) & (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely:—

In the said notification “Condition Number- (3)” is rescinded and shall be substituted by the following, that is;

“Condition Number-(3)—Food Processing Industry listed in condition (2) above, which have been established in the Food Parks, notified by the Madhya Pradesh Horticulture & Food Processing Department, with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh, would be considered for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the state and or brought into any market area from out of state. However, “wheat” based Food Processing Industry with the investment in Plant and Machinery of above Rs. 50 Lakh would be considered only for exemption from payment of mandi Fee on the notified agricultural produce purchased within any market area of the State.”.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

**गृह विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ-1(ए) 26-92-ब-2-दो.—श्री एम. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल को दिनांक 30 मई से 17 जून 2011 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश,

दिनांक 29 मई एवं 18, 19 जून 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की यात्रा की परिवर्तित अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “पूर्व शिलांग” (मेघालय) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1.	श्री एम. आर. आसूदानी	स्वयं
2.	श्रीमती भारती आसूदानी	पत्नी
3.	कु. आकांक्षा आसूदानी	पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल का कार्य श्री आर. के. मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य सायबर पुलिस, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार), भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वेच्छा अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. आसूदानी, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर का कार्य श्री पवन श्रीवास्तव, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 155-93-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु., भोपाल को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में दिनांक 16 मई से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2011 तक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यू. के. में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(3) अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपपुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भाषुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भाषुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-244-96-ब-2-दो.—श्री ए. के. सोनी, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/ सुरक्षा) पु.मु., भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए, राज्य शासन, द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “श्रीनगर” (जम्मू एवं कश्मीर) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है:—

1. श्री अशोक कुमार सोनी	स्वयं
2. श्रीमती सैलजा सोनी	पत्नी
3. मेहुल सोनी	पुत्र
4. कनिष्ठ सोनी	पुत्र
5. कुशाग्र सोनी	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री ए. के. सोनी, भाषुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री ए. के. सोनी, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल का कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अभियान, गुप्तवार्ता पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सोनी, भाषुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री ए. के. सोनी, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था/सुरक्षा), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्ठिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री ए. के. सोनी, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सोनी, भाषुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

क्र. एफ 1(ए)-31-2007-ब-2-दो.—श्री के. सी. जैन, भाषुसे, पुलिस अधीक्षक, गुना, मध्यप्रदेश को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 12 मई 2011 द्वारा दिनांक 27 मई से 3 जून 2011 तक सात दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 29 मई 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश अवधि में उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत में कहीं भी यात्रा सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार “जम्मू कश्मीर” (वैष्णोदेवी) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

1. श्री के. सी. जैन	स्वयं
2. श्रीमती राजश्री जैन	पत्नी
3. कर्तव्य जैन	पुत्र
4. कृति जैन	पुत्री

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 1(ए)-55-94-ब-2-दो.—श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल को दिनांक 25 जून से 8 जुलाई 2011 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 9 एवं 10 जुलाई 2011 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत सपरिवार, “नुक्रा वेली” (जम्मू एवं कश्मीर) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

1. श्री बी. बी. एस. ठाकुर	स्वयं
2. श्रीमती दुर्गा ठाकुर	पत्नी
3. श्री राहुल ठाकुर	पुत्र
4. श्री गौरव ठाकुर	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भाषुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भाषुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल का

कार्य श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (सर्तकता), अ. अ. वि., पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-210-96-ब-2-दो.—श्री ए. साई मनोहर, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा.), पु. मु., भोपाल को The Second Course of Phase-IV Mid Career Training Programme में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 16 मई 2011 से 24 जून 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 27 जून 2011 से 8 जुलाई 2011 तक कुल बारह दिवस यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 15 जुलाई 2011 तक कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जुलाई 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत् स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर, श्री ए. साई, मनोहर, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशा.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ए. साई मनोहर, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री ए. साई मनोहर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)-268-86-ब-2-दो.—श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिरीक्षक (प्रशि.) पु. मु., भोपाल को दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 एवं 12 जून 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की सुविधा की पात्रता के तहत् सपरिवार “नुब्राह वेली” (लेह लद्दाख) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाती है :—

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 1. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | स्वयं  |
| 2. डॉ. शुचि श्रीवास्तव             | पत्नी  |
| 3. सुकृति श्रीवास्तव               | पुत्री |

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल का कार्य श्री ए. के. श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशि.), पु. मु., भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

**खनिज साधन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2011

क्र. एफ 19-4-10-बारह-1.—खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 75 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनात्मक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा एफ. एस. 2009-2010 से 2011-12 तक के पूर्वेक्षण कार्य एवं भूवैज्ञानिक मानचित्रीकरण के लिये निम्नलिखित क्षेत्र अधिसूचित करती है. जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

खनिज	जिला	क्षेत्र	अधिसूचना की कालावधि	सर्वे आफ इण्डया का टोपोशीट क्रमांक	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डोलोमाइट (औद्योगिक उपयोगिता जानने हेतु पूर्वेक्षण)	छतरपुर	बाजना	03 वर्ष	54 पी/7 खण्ड (ए) खण्ड (बी)	79° 14' : 79° 17' 24° 25' : 24° 30' 79° 19' 30" : 24° 24' 30" 79° 24' 10" 24° 26' 30"	
चूनापत्थर (विभिन्न श्रेणी हेतु पूर्वेक्षण)	सतना	अमरपाटन तहसील का डिथोरा क्षेत्र	03 वर्ष	63 एच/3	81° 05' : 81° 15' 24° 20' : 24° 30'	

No. 19-4-10-XII-1.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 75 of the Mineral Concession Rules, 1960, the state Government, here by notifies the following areas for Prospecting & Geological mapping by Directorate of Geology and Mining Govt. of Madhya Pradesh for the F. S. 2009-2010 to 2011-12.

The details are as under.—

Mineral	District	Area	Period of Notification	Survey of India Toposeet No.	Longitude	Latitude
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Dolomite (Prospecting to assess industrial utility)	Chhatarpur	Bajna	03 years	54 P/7 Block (A) Block (B)	79° 14' : 79° 17' 24° 25' : 24° 30' 79° 19' 30" : 24° 24' 30" 79° 24' 10" 24° 26' 30"	
Limestone (Prospecting of various grade)	Satna	Dithora area of Amarpatan tehsil	03 years	63 H/3	81° 05' : 81° 15' 24° 20' : 24° 30'	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव,

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2011

क्र. 3(ए)-2-2006-इकीस-ब-(एक).—राज्य शासन वर्ष 2012 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम/पद	जन्मतिथि दिनांक	अधिवार्षिकीय आयुपूर्ण करने की अवधि	सेवानिवृत्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री जसवंत सिंह क्षत्रिय, जिला एवं/वि. न्याया., डिंडोरी	4-1-1952	3-1-2012	31-1-2012
2	श्री नवलकिशोर गर्ग, प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., जबलपुर	5-1-1952	4-1-2012	31-1-2012
3	श्री किशोरीलाल बोरासी, अपर जिला न्याया. फा. ट्रैक कोर्ट, इन्हौर.	6-1-1952	5-1-2012	31-1-2012
4	श्री लक्ष्मण पवैया, अपर जिला न्याया., भिण्ड.	3-2-1952	2-2-2012	28-2-2012
5	डॉ. अनिल कुमार ठाकरे, अति. न्याया. कुटुम्ब न्या. जबलपुर.	9-2-1952	8-2-2012	28-2-2012
6	श्री लालजी प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप. फोरम, होशंगाबाद.	4-3-1952	3-3-2012	31-3-2012
7	श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला न्यायाधीश, शहडोल.	8-3-1952	7-3-2012	31-3-2012
8	श्री करनसिंह भंडारी, अध्यक्ष, म. प्र. रा. उप फोरम, रतलाम.	2-4-1952	1-4-2012	30-4-2012
9	श्री ओमप्रकाश (जू.) दुबे, जिला न्याया., हरदा.	10-5-1952	9-5-2012	31-5-2012
10	श्री सुधीर कुमार अवस्थी, अपर जिला न्याया./विशेष न्याया. विद्युत अधि., मगोली.	10-5-1952	9-5-2012	31-5-2012
11	श्री नरसिंहदास पटले प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., टीकमगढ़.	11-5-1952	10-5-2012	31-5-2012
12	श्रीमती आशा भटनागर प्रधान न्याया. कुटुम्ब न्याया., उज्जैन.	12-5-1952	11-5-2012	31-5-2012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	श्रीमती चंद्रकांता गर्ग रजि. ने. लां. इन्स्टी, भोपाल.	29-6-1952	28-6-2012	30-6-2012
14	श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला न्यायाधीश, मुरैना.	1-7-1952	30-6-2012	30-6-2012
15	श्री लाल सिंह दुवाशा, अपर जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद.	1-7-1952	30-6-2012	30-6-2012
16	कु. प्रतिभा रत्नपारखी, जिला न्याया., सागर.	1-1-1953	31-12-2012	31-12-2012
17	श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला न्याया., राजगढ़.	1-1-1953	31-12-2012	31-12-2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता हैं, अर्थात् :—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार हेक्टेयर में	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुंआ वितरण शाखा	8	1485.59	1
2	कुंआ वितरण शाखा एम.-3 आर	9	1872.829	1
3	कुंआ वितरण शाखा नहर	17	1386.693	1
4	कुंआ वितरण शाखा नहर डी-7	11	1693.335	1
5	कुंआ वितरण शाखा नहर	15	2018.895	1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. क्षी. सिंह, उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 30 मई 2011

क्र. एफ 67-171-10-तीन-842.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2011 के भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1717 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ-67-171-10-तीन-689, दिनांक 9 मई 2011 में अभ्यर्थी श्री अहिरवार पूरन, नगर पंचायत पलेरा, जिला टीकमगढ़ को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निर्हित किया गया है कि कंडिका 05 की प्रथम पंक्ति में अंकित श्री अहिरवार पूरन को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया में संशोधन किया जाये।

संशोधन

उक्त आदेश में ‘दिनांक 9 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया’ पढ़ा जावे।

हस्ता./-

( रजनी उड्के )

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जून 2011

क्र. एफ 67-142-10-तीन-862.—मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अप्रैल 2011 के भाग-1 के पृष्ठ क्र. 1186 एवं 1187 में प्रकाशित आदेश क्रमांक एफ-67-142-10-तीन-443 एवं 444, दिनांक 29 मार्च 2011 में 02 अभ्यर्थी श्री राजेश शर्मा आ. श्री श्याम मनोहर शर्मा एवं श्री राकेश कुमार जायसवाल, एडव्होकेट, नगरपालिका परिषद् सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद को 05 वर्ष की कालावधि के लिये निर्हित किया गया है।

संशोधन

उक्त आदेश में जिला सिवनी के स्थान जिला होशंगाबाद पढ़ा जावे।

हस्ता./-

( रजनी उड्के )

सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र. 836-भू-अर्जन-11.

सिंगरौली, दिनांक 1 जून 2011

करारनामा

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली द्वारा उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल

प्रथम पक्ष

मध्यप्रदेश सरकार, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला सिंगरौली

द्वितीय पक्ष

दिनांक 27-9-2010 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ-12-18/2010/7/2ए, भोपाल, दिनांक 28-10-2010 के अनुसार पावरग्रिड के 765/400 के. वी. विन्ध्याचल पुलिंग उपकेन्द्र के निर्माण हेतु ग्राम खम्हरिया में रकबा 20.59 है. एवं परसदेही में रकबा 4.91 है. कुल किता 41, रकबा 25.50 है. निजी भूमि हेतु प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 26-02-2011 को अनुबंध (करारनामा) निष्पादित करते हैं:

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के परिगणित मूल्य की शत-प्रतिशत राशि मय 30% सोलेसियम एवं 12% ब्याज रु. 21525638/- (दो करोड़ पन्द्रह लाख पचीस हजार छ: सौ अड़तीस रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
2. परियोजना के अर्जन के लिए नियमानुसार परिगणित मूल्य का 10% प्रशासकीय व्यय की राशि रु. 2152564/- (इक्कीस लाख बावन हजार पांच सौ चौसठ रु. मात्र) बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
3. केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप परियोजना द्वारा विद्युत् संचरण का कार्य किया जाता है और उक्त व्यवस्था का अनुपालन परियोजना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
5. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जाएगा।
6. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
7. परियोजना के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों में विस्थापित परिवारों में उपलब्ध कौशल एवं शिक्षा के आधार पर नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी अथवा एक मुश्त समझौता (One time Settlement) किया जायेगा।
8. कंपनी को दी गयी भूमि से उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम)।
9. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन या उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
10. भूमि की केवल सतह का ही उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौड़ खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
11. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जायेगा।

12. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा। कम्पनी द्वारा कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित भूमि पर लगे हुए वृक्षों को काटने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240/ 241 के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
13. ट्रांसमिसन प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू नहीं है तथा ना ही पर्यावरण इम्पेक्ट मूल्यांकन (EIA) की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
14. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।
15. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो उक्त भूमि उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
16. भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
17. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी।
18. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
19. मौके के स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का कार्रोरेशन द्वारा पालन किया जायेगा।
20. पावरग्रिड पर्यावरण एवं सामाजिक नीति और पद्धति (ESPP) 2005 के अनुसार विस्थापित परिवारों के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
21. भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों से संबंधित शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना कम्पनी के लिए बंधनकारी होगा।
22. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से संबंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में स्थित न्यायालय में किया जायेगा।

यह अनुबंध (करारनामा) आज दिनांक 26-2-2011 को पावर ग्रिड कार्रोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली की तरफ से उप महाप्रबंधक, विन्ध्याचल एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा हस्तारक्षित किया गया।

हस्ता./- <b>( सुभाष चन्द्र )</b> उप महाप्रबंधक पावरग्रिड, विन्ध्याचल	हस्ता./- <b>( पी. नरहरि )</b> कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
---	--

क्रमांक /850/राजस्व/ 2011

सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011

करारनामा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास, मेन रोड बिलौंजी, बैढ़न, जिला—सिंगरौली (म.प्र.)

प्रथम पक्ष

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग द्वारा कलेक्टर, जिला—सिंगरौली(म.प्र.)

द्वितीय पक्ष

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 12-12/09/सात/2-ए, भोपाल दिनांक 19.02.2010 के अनुसार सासन अल्ट्रा मेंगा पावर प्रोजेक्ट द्वारा जिला सिंगरौली में 4000 मेंगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए कोयला आपूर्ति एवं कोयला उत्खनन हेतु बुनियादी संरचना के लिये ग्राम अमिलिया, पिंडरबाह एवं बंधा, तहसील सिंगरौली, जिला—सिंगरौली की निजी भूमि रकवा 23.50 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जन हेतु प्रथम व द्वितीय पक्ष के मध्य निम्न शर्तों के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के तहत आज दिनांक 01/06/2011 को अनुबंध/करारनामा निष्पादित करते हैं :—

1. परियोजना के लिए उक्त निजी भूमि अर्जन हेतु भूमि के पारिगणित मूल्य की शत प्रतिशत राशि रूपये 3,46,74,696.00 मात्र ( रु. तीन करोड़ छिंवालीस लाख चौहत्तर हजार छ. सौ छियान्नवे रु० मात्र) कम्पनी द्वारा ब्रॉर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
2. कम्पनी द्वारा नियमानुसार दस प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि रु० 34,67,470.00 मात्र ( रु. चौतीस लाख सत्सठ हजार चार सौ सत्तर रु० मात्र) कम्पनी द्वारा बतौर अग्रिम जमा की जा चुकी है।
3. सासन पावर लिमिटेड द्वारा कोल ब्लाक से उत्खनित कोयला का उपयोग केवल प्रोजेक्ट द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत के उपयोग में लगाया जावेगा, अन्यत्र विक्रय नहीं किया जायेगा।
4. मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-12-03/08/सात/2-ए दिनांक 12.08.2008 के निर्देशानुसार सच्च की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 का परियोजना द्वारा पालन किया जायेगा।
5. अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कम्पनी द्वारा देय होगा।
6. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
7. कम्पनी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा साथा माइनिंग लीज नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
8. भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निरक्षाएँ आदि का ध्यान रखा जायेगा।
9. कम्पनी द्वारा जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उन कृषकों के परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम्पनी के आदर्श पुनर्वास नीति वर्ष 2002 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नौकरी देने के लिये बचनबद्ध होगी।

10. कम्पनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या इच्छा प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु परियोजना निर्माण के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु कम्पनी को ऋण दाता के पक्ष में भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण को बंधक रखने की पात्रता अनुमति के पश्चात होगी।
11. यदि कम्पनी को दी गई भूमि भवन अथवा उसके किसी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कम्पनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
12. प्रदूषण नहीं किया जायेगा, इस सम्बंध में सम्बन्धित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु प्रदूषण नहीं किया जायेगा।
13. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूरे सभी आवश्यक अनुमतियाँ अनुमोदन एवं अनापत्तियाँ सम्बन्धित एवं स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन करना होगा।
14. यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है तो बाद में कभी भी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और कम्पनी को मुआवजा देय नहीं होगा।
15. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे मिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
16. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सभी उपयोग तथा भास्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन परिसर आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

17. परियोजना से विस्थापित परिवारों को शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक ट्रस्ट का गठन कलेक्टर, सिंगरौली एवं सासन पावर लिमिटेड के मध्य चर्चा अनुसार किया जायेगा।
18. मौके की रिथति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के लौरान अन्य आवश्यक शर्तों का कम्पनी द्वारा पालन किया जायेगा।
19. पक्षकारों के मध्य उत्पन्न भू-अर्जन से सम्बंधित किसी भी विवाद का निराकरण जिले में रिथत न्यायालय में किया जायेगा।

यह अनुबंध (कशरनामा) आज दिनांक 01/06/2011 को सासन पावर लिमिटेड, कृषि उपज मण्डी के पास मेन रोड, बिलौजी बैढ़न, जिला—सिंगरौली (म.प्र.) की तरफ से श्री दीपक माथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की तरफ से कलेक्टर, जिला—सिंगरौली द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ता./—  
 ( दीपक माथुर )  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 सासन पावर लिमिटेड

हस्ता./—  
 ( पी. नरहरि )  
 कलेक्टर,  
 जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्रमांक / ४८९५ प्रस्तुति / भू-अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक ०२/०६/२०११

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / ०१/अ-८२/२०१०-११

अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (इ.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्वार— श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक.....०२.....जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (इ.) मुंबई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—राहीवाड़ा की निजी भूमि रक्का—64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी ..... की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :—

## “परिशिष्ट-1”

ग्राम— राहीवाड़ा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एवं उस पर स्थित  
संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

कं.	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	संपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	खेमचंद पिता चिरौंजी नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/2 255/3	0.081 0.396	0.081 0.396	एक कच्चा कुआं
	योग :-	02	0.477	0.477	-
2.	किशोरचंद पिता चन्दन गौली  निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/3 237 } 450/2	0.121 } 0.442 } 0.028 }	0.121 } 0.442 } 0.028 }	-
	योग :-	04	0.591 0.154 0.206 2.58/1	0.591 0.154 0.206 1.145	-
3.	मंगलप्रसाद पिता चंद्रमन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/4	1.214	1.214	-
	योग :-	01	1.214	1.214	-
4.	मोहन पिता बुधन अहीर निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/5	0.902	0.902	-
	योग :-	01	0.902	0.902	-
5.	पुन्नालाल पिता ताराचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/6	0.809	0.809	-
	योग :-	01	0.809	0.809	-
6.	मानकचंद पिता खुनू कतिया  निवासी ग्राम भूमिस्वामी	234 257/11	0.312 0.040	0.312 0.040	-
	योग :-	02	0.352	0.352	-

7.	मकरचंद, बुद्धि दिनेश राधे पिता धनलाल असमती पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	238	0.975	0.975	एक कच्चा कुआं एक कच्चा कुआं
		239	0.283	0.283	
		261	0.745	0.745	
		262/1}	0.400}	0.400}	
		263/2}	1.838}	1.838}	
			2.238	2.238	
		264	0.717	0.717	
		योग :-	05	4.958	4.958
8.	लखनलाल पिता चंदन गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240	0.040	0.040	एक कच्चा कुआं
		242/2}	0.380}	0.380	
		243/2}	1.195}	1.195	
		257/5}	0.040	0.040	
			1.655	1.655	
		257/6}	0.024	0.024	
		258/2}	0.959}	0.959	
		273/2}	0.162}	0.162	
			1.145	1.145	
		योग :-	02	2.800	2.800
9.	प्रेमवती बेवा तुलाराम हरदयाल, चैतराम पिता तुलाराम, रुखमनी बेवा खेमलाल, रामकेश पिता खेमलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	241	0.299	0.299	एक कच्चा कुआं आम बृश - 02
		257/4}	0.101}	0.101}	
		257/10}	0.073}	0.073	
			0.174	0.174	
		262/2}	0.725}	0.725}	
		263/1}	1.112}	1.112}	
			1.837	1.837	
		योग :-	03	2.310	2.310
10.	भरदी, नंदलाल, छोटेलाल पिता मुसद्दी बुधिया बेवा नारायण; हरगोविंद, घनश्याम ना.बा. पिता नारायण पा.माँ बुधिया गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	242/1}	1.011	1.011	एक कच्चा कुआं
		243/1}	0.709	0.709	
		244/2}	0.024	0.024	
		244/3}	0.089	0.089	
		245	0.462	0.462	
			2.295	2.295	
		256	0.486	0.486	

		257/7 270/1 271 272 273/1	0.283 0.688 0.227 0.089 0.987	0.283 0.688 0.227 0.089 0.987	एक पक्का कुआं
			2.274	2.274	
		259	0.539	0.539	
	योग :-	04	5.594	5.594	
11.	सुरेश, राजू, राजेश पिता मेखचंद ललताप्रसाद, लोकमन, कृपाराम, रूपचंद, मुंशीराम पिता चरनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	255/1 292/1	0.199 0.168	0.199 0.168	-
		योग :-	02	0.367	0.367
12.	अमीरचंद पिता जिलेराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	255/2 287/2 292/2	0.397 0.886 0.337	0.397 0.886 0.337	आम वृक्ष- 01
		योग :-	03	1.620	1.620
13.	तिलकवती पति राजकुमार नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी	255/4 287/4 287/6 292/4	0.396 0.116 0.654 0.170	0.396 0.116 0.654 0.170	आम वृक्ष-02
		योग :-	04	1.336	1.336
14.	गोविंद पिता नारायण गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	255/5	0.397	0.397	-
		योग :-	01	0.397	0.397
15.	जवाहरलाल पिता घूड़न नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी	255/6 292/6	0.198 0.198	0.198 0.198	-
		योग :-	02	0.396	0.396
16.	राधे पिता धनलाल गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/3 270/2 274 275/3	0.405 0.007 0.295 0.486	0.405 0.007 0.295 0.486	आम वृक्ष-1
		योग :-	02	0.788	0.788
				1.193	1.193

17.	सोमती बेवा चिल्लू, चरनलाल, साहबलाल, कपसलाल पिता चिल्लू धनियाबाई, जानकीबाई, सविताबाई पिता चिल्लू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	265	0.660	0.660	एक कच्चा कुआं	
		266	0.299	0.299		
			0.959	0.959		
		267	0.162	0.162		
		268	0.473	0.473		
		269	1.630	1.630		
		275/2	0.049	0.049		
			2.314	2.314		
		270/3	0.397	0.397		
		270/4	0.405	0.405		
18.	गोपल पिता खुन्नू नाई निवासी ग्राम भूमिस्वामी	276	1.688	1.688	एक पक्का कुआं	
		450/7	0.877	0.877		
			2.565	2.565		
		279/2	0.081	0.081		
		282/1	0.490	0.490		
		285/1	2.237	2.237		
			2.808	2.808		
		284/1	0.486	0.486		
		योग :-	07	9.934	9.934	-
						-
19.	राधे बुद्ध मकरचंद दिनेश पिता धनलाल चिल्लू पिता रामू गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	275/1	0.599	0.599	-	
		277	1.153	1.153		
20.	योग :-	01	1.752	1.752	-	
20.	फूल्लो बेवा झाडू संतोष पिता झाडू असाडू पिता गौरे सुकरचंद पिता सज्जवा सुकलवती बेवा सज्जवा गोड़  निवासी ग्राम भूमिस्वामी	278	0.547	0.547	एक कच्चा कुआं	
		01	0.547	0.547		
		280	0.926	0.926		
		281	0.417	0.417		
		294	0.413	0.413		
			1.756	1.756		
		440	0.757	0.757		
		450/5	0.154	0.154		
			0.911	0.911		
		442/1	1.658	1.658		
		442/2	0.405	0.405		

			2.063	2.063	
		450/6	0.081	0.081	
	योग :-	04	4.811	4.811	-
21.	श्यामराव पिता कुंजी कतिया	282/2	1.142	1.142	एक कच्चा कुआ आम वृक्ष - 01 महुआ वृक्ष - 01
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी	283/1	0.418	0.418	बेहडा वृक्ष - 01 नीम वृक्ष - 02 शिलवा वृक्ष - 01
	योग :-	01	1.560	1.560	-
22.	गुलाबराव पिता कुंजी कतिया	283/2	0.549	0.549	-
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी	284/2	0.097	0.097	
		285/2	1.011	1.011	
	योग :-	03	1.657	1.657	-
23.	सकलाबाई पति बुद्ध गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी	287/3	0.887	0.887	-
		292/3	0.338	0.338	
	योग :-	02	1.225	1.225	-
24.	मकरचंद पिता धनलाल गौली	287/5	0.890	0.890	-
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी	292/5	0.337	0.337	
	योग :-	02	1.227	1.227	-
25.	सुशीलाबाई विं. ओमप्रकाश आशीष, कु. रजनी पिता ओमप्रकाश कतिया निवासी छिन्दवाड़ा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	295/1	0.203	0.203	सागौन वृक्ष - 03
	योग :-	01	0.203	0.203	
26.	उद्देराम पिता सुमेरचंद कतिया	295/2	0.203	0.203	सागौन वृक्ष - 03
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
	योग :-	01	0.203	0.203	-
27.	कन्हैया पिता सुमेरचंद कतिया	295/3	0.314	0.314	सागौन वृक्ष - 03
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
	योग :-	01	0.314	0.314	-
28.	सुंदर पिता सुमेरचंद कतिया	296	0.255	0.255	सागौन वृक्ष - 02
	निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
	योग :-	01	0.255	0.255	-

29.	बंशीलाल पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	297	0.219	0.219	सागौन वृक्ष - 03
	योग :-	01	0.219	0.219	-
30.	पचकौड़ी पिता मुल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	298	0.445	0.445	-
	योग :-	01	0.445	0.445	-
31.	कृष्ण पिता सुमेरचंद कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	299/2	0.259	0.259	एक कच्चा कुआ
	योग :-	01	0.259	0.259	-
32.	रुपलाल पिता परसराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	443	0.624	0.624	महुआ वृक्ष - 04
	योग :-	01	0.624	0.624	-
33.	उजारिया पति शंकरलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	444 445 योग :- 02	0.016 0.470 0.486	0.016 0.470 0.486	-
34.	मोतीलाल पिता हन्नू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	447 448 449 योग :- 01	1.542 0.704 1.019 3.265	1.542 0.704 1.019 3.265	अचार वृक्ष - 01 सागौन वृक्ष - 04
35.	समकुरिया वि. पन्नालाल मंगलप्रसांद, मंगलसी पिता पन्नालाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/3	0.667	0.667	अचार वृक्ष - 01
	योग :-	01	0.667	0.667	-
36.	दीपलाल पिता ब्रह्मा कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/4	0.162	0.162	एक कच्चा कुआ
	योग :-	01	0.162	0.162	-
37.	सुमेरचंद पिता अबीरचंद देवकी, सनिया पिता अबीरचंद गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/8	2.023	2.023	-
	योग :-	01	2.023	2.023	-

38.	गनाराम पिता देवचंद लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/10	1.315	1.315	-
	योग :-	01	1.315	1.315	-
39.	पार्वति बेवा पन्नालाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/11	0.668	0.668	-
	योग :-	01	0.668	0.668	-
40.	सोहनलाल पिता मंगल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/12	0.668	0.668	-
	योग :-	01	0.668	0.668	-
41.	भुजलोबाई बेवा पन्नालाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/13	0.668	0.668	अचार वृक्ष— 03
	योग :-	01	0.668	0.668	-
42.	शीलू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/9	0.505	0.505	सागौन वृक्ष— 08
	योग :-	01	0.505	0.505	
43.	शरण पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/14	0.506	0.506	सागौन वृक्ष— 06
	योग :-	01	0.506	0.506	-
44.	रीतू पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/15	0.506	0.506	सागौन वृक्ष— 08
	योग :-	01	0.506	0.506	-
45.	शशि पिता गनाराम लोहार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	450/16	0.506	0.506	सागौन वृक्ष— 04
	योग :-	01	0.506	0.506	-
	कुल योग	82	64.001 हेक्टेयर	64.001 हेक्टेयर	13 कुएं एवं
					65 वृक्ष

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजोण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का किंगान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है। इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है।

### कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा।

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—राहीवाड़ा की निजी भूमि रकबा—64.001 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू—अर्जन आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू—अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ— 12—04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू—अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे।
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू—अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत—प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू—अर्जन की कार्यवाही की जाए।
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू—अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू—अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए।
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।

- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44—ए भू—अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।

- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा भौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें.
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्य कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अन्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
4. भू-अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है. उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए.
5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये.
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानन्द कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)  
साक्षी क्र.-1

पक्ष कमांक-1  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

नाम :- (डॉ. श्रीनिवास शामी)

(पवन कुमार शामी)

अतिरिक्त कलेक्टर

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

पता : शासकीय आवास गृह

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

साक्षी क्र.-2

पक्ष कमांक-2

For, SKS Power Generation (Madhya Pradesh) Ltd.  
(दीपक गुप्ता)

नाम :- सतपाल सिंह अरोरा

संयुक्त प्रबंध संचालक

पिता का नाम :- कस्तूरीलाल जी अरोरा

"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन  
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148  
गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10  
(महाराष्ट्र राज्य)

**क्रमांक/4495 / प्रस्तुत/भू—अर्जन/2011 छिंदवाड़ा, दिनांक ०१/०६/२०११**

**भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत**

**भू—अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक/ ०२ /अ-८२/२०१०-११**

### **अनुबंध—पत्र (करारनामा)**

यह अनुबंध—पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला –छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का –1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्यार— श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक.....०२.....जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—धाधरा की निजी भूमि रकबा—72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी ..... की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिषिष्ट—1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू—अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू—अर्जन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिषिष्ट—1 पर अंकित किया है :—

## “परिशिष्ट-1”

ग्राम— धाधरा तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम	समुदाय संवर्ग से संबंध	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टयर में)	अर्जन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा (हेक्टयर में)	संपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाबू पिता अबुआ; सोबिन्द पिता गुलाब; कैलशपुरी, बैजन्ती, संतकुमारी, राजन्द्र, पिता भद्री अशोक, उमिला, प्रमीला, बाबा पिता भद्री, सुकलिया बेवा मोती, गुरदन, गुरुदयाल, बडगू, नन्हू पिता मोती कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	92	0.259	0.259	
	योग :-		1	0.259	0.259	
2.	सेहतो बेवा पतिराम दुर्गन्द्र, भीमेन्द्र पिता पतिराम; संतलाल पिता अमरलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनुजनजाति	93/2 93/4 104 105 106 143	0.028 0.061 0.036 0.846 0.093 0.121	0.028 0.061 0.036 0.846 0.093 0.121	
			1.185	1.185		
			103	0.227	0.227	कुंआ पक्का — 01
			142	0.437	0.437	
			144	0.049	0.049	
			145	0.304	0.304	महुआ — 05
			146	0.481	0.481	
			150/2	0.243	0.243	चार — 06
				1.077	1.077	
	योग :-		5	2.926	2.926	
3.	भैयालाल पिता नोखे गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनुजनजाति	93/5 101	0.101 0.190	0.101 0.190	कुंआ कच्चा — 01
				0.291	0.291	
			100/2	0.304	0.304	
			100/7	0.121	0.121	
			147/3	0.425	0.425	
	योग :-		4	1.141	1.141	
4.	संतूलाल पिता अमरलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनुजनजाति	93/6	0.202	0.202	
	योग :-		1	0.202	0.202	
5.	शिवप्रसाद पिता भुवनलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	195/1	0.397	0.397	
	योग :-		1	0.397	0.397	

6.	धोकल पिता हीरा कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	95	0.227	0.227	
			174/4	0.692	0.692	
			285/9	0.809	0.809	
			योग :-	3	1.728	1.728
7.	सरस्वती बेबा रामप्रसाद अर्जुन पिता रामप्रसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	96	0.150	0.150	
			97/2	0.373	0.373	
			97/3	0.648	0.648	
				1.021	1.021	
			195/2	0.809	0.809	
			योग :-	3	1.980	1.980
8.	सालक राम पिता हीरालाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	97/4	0.045	0.045	
			योग :-	1	0.045	0.045
9.	सालकराम पिता हीरालाल जानक पिता बाबू हरिचंद पिता बाबूलाल रामकली बेबा बालकराम सुमलाबाई बेबा मानक मोहपतिया पिता मानक देवकीबाई बेबा गोपी रामस्वरूप रामताप्रसाद पिता गोपी सीताबाई, विनीताबाई पिता गोपी गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	98	0.117	0.117	कुंआ कच्चा - 01 आम - 01 महुआ - 02 चार - 06
			172	2.566	2.566	
			173	0.648	0.648	
				3.331	3.331	
			163	0.445	0.445	कुंआ कच्चा - 01
			168	0.081	0.081	
			169	0.166	0.166	
			171/3	0.131	0.131	
			171/5	0.036	0.036	
				0.859	0.859	
			166	0.721	0.721	
			167	0.437	0.437	
				1.158	1.158	
			170	0.603	0.603	मकान पक्का - 01 कुंआ कच्चा - 01 चार - 04 महुआ - 02
			171/2	0.413	0.413	
			171/4	0.607	0.607	
				1.623	1.623	
			योग :-	4	6.971	6.971
10.	बुद्ध पिता भूरा गोड़ ददूलाल पिता नोखेगोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	99/2	1.214	1.214	
			योग :-	1	1.214	1.214
11.	ददूलाल पिता नोखे गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	100/1	0.283	0.283	
			100/6	0.121	0.121	
			147/1	0.668	0.668	
	योग :-		3	1.072	1.072	

12.	साधूराम पिता नोखे गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	100/3	0.324	0.324	कुंआ कच्चा - 01
			100/8	0.113	0.113	
			147/4	0.696	0.696	
	योग :-		3	1.133	1.133	
13.	अमरसिंग पिता दवदुलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	100/4	0.425	0.425	
	योग :-		1	0.425	0.425	
14.	दादुराम पिता नोखे गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	100/5	0.445	0.445	
			147/2	0.829	0.829	
			151/2	2.023	2.023	
	योग :-		3	3.297	3.297	
15.	बिरजलाल, विरजपत पिता होरीलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	100/9	4.522	4.522	
				1	4.522	4.522
16.	सेहतो बेवा पतिराम दुर्गन्ध, भीमेंद्र पिता पतिराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	102/2	0.809	0.809	
				1	0.809	0.809
17.	झाडू पिता माहू ताराचंद, संतराम पिता माहू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	140	1.157	1.157	
				1	1.157	1.157
18.	रम्मू पिता मक्खन गोड़ (शासकिय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	148	0.886	0.886	
				01	0.886	0.886
19.	ऐतु पिता बैसाखू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	149	0.749	0.749	
				1	0.749	0.749
20.	हरिचन्द पिता बूठा गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	151/1	0.405	0.405	
			191/2	0.049	0.049	
	योग :-		191/3	0.526	0.526	
	योग :-		3	0.980	0.980	
21.	कूरा बेवा धोकल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	151/3	2.023	2.023	
			158	0.069	0.069	
			159	0.077	0.077	
			162	0.271	0.271	
			164	0.979	0.979	मकान कच्चा - 04 चार - 03
			165	0.413	0.413	
				1.392	1.392	
	योग :-		5	3.832	3.832	
22.	भद्रू पिता झीरों गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	152	1.529	1.529	
				1	1.529	1.529

23.	महेंदा पिता बीरन गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	153	0.821	0.821	
			154	0.081	0.081	
			155	0.405	0.405	
			156/2	0.636	0.636	
			योग :-	4	1.943	1.943
24.	भागचंद पिता कम्पू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	156/3	2.023	2.023	
			योग :-	1	2.023	2.023
25.	दिनेश महेश नांबा०पिता विपतलाल पा०माँ जुनिया बेवा विपतलाल गोड़	अनु०जनजाति	157	0.983	0.983	
			177/1	0.421	0.421	
			योग :-	2	1.404	1.404
26.	कूरा बेवा धोकल; रुपचंद पिता बूठा॒; रोशन, लालमन, लोटन, लालचंद, फूलचंद पिता पिरमू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	160	1.562	1.562	चार - 14
			161	2.286	2.286	कुंआ कच्चा - 01
						महुआ - 14
			योग :-	2	3.848	3.848
27.	रामजी, रामदयाल पिता होरीलाल दुर्गावती, लखनवती पिता होरीलाल गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	174/3	0.607	0.607	
			175	2.622	2.622	
			177/3	1.538	1.538	
			178	0.833	0.833	
			181	1.125	1.125	
			190	0.202	0.202	
			योग :-	6	6.927	6.927
28.	जती, जतन पिता ब्रजलाल दर्शन नेरसिंग पिता भूरा गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	183	1.805	1.805	
			184	1.003	1.003	
				2.808	2.808	
			185	0.769	0.769	
			187	0.129	0.129	
			189	0.874	0.874	
			192	0.223	0.223	
			193	2.229	2.229	
				2.454	2.454	
			306/1			आम - 01
			306/2	3.793	3.793	महुआ - 03
			307/1	1.925	1.925	चार - 01
				8.172	8.172	
			योग :-	7	15.204	15.204
29.	लोटन, फूलचंद पिता पिरमू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु०जनजाति	186	0.534	0.534	
	योग :-		1	0.534	0.534	
30.	शेख अकबर पिता शेख जुम्मन मुसलमान निवासी अमरवाड़ा (शासकीय पट्टेदार) निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	285/2	0.129	0.129	
	योग :-		1	0.129	0.129	

31.	इंदरवती पति रमेश गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अनु.जनजाति	306/3 307/2 306/4 307/3	0.649 0.160 0.565 0.280	0.649 0.160 0.565 0.280	आम – 01 महुआ – 03 चार – 06
	योग :-		2	1.654	1.654	
32	सुनील पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	96/6 195/3	0.162 0.243	0.162 0.243	
	योग :-		2	0.405	0.405	
33	अनिल पिता शिवप्रसाद सुर्यवंशी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अन्य पिछड़ा वर्ग	94/1 94/2  97/1 97/5	0.243 0.235  0.478 0.234 0.202	0.243 0.235  0.478 0.234 0.202	
	योग :-		3	0.914	0.914	
	कुल योग	33	77	72.239 हेक्टेयर	72.239 हेक्टेयर	मकान कच्चे/पक्के – 05 कुएं कच्चे/पक्के – 07 विभिन्न प्रजातियों के – 72 वृक्ष

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है। इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है।

## कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिषिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा।

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-धाधरा की निजी भूमि रकमा-72.239 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ- 12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अनुसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्त या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे।
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस अक्षय की करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।

- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू—अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत—प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू—अर्जन की कार्यवाही की जाए.
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू—अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू—अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए.
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा।
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44—ए भू—अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे

में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।

- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आक्षयक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आक्षयकतानुसार भू—अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आक्षयक शर्तें।
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आक्षयक वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा

शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आक्षयकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आक्षयक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पर्यात ही यह अनुमति प्रभावील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्य कर देने की कार्यवाही की जायेगी।
  3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।
  4. भू—अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आर्द्ध पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही हैं। उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुर्णवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
  5. आवेदक कंपनी से भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये।
  6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय—समय पर जारी द्विः—निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुरुला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध—पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)  
साक्षी कं.-1

पक्ष कमांक-1  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Ramnu*  
नाम :— (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर

पता : शासकीय आवास गृह

साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.-2

नाम :— सतपाल सिंह अरोरा

पिता का नाम :— कस्तूरीलाल जी अरोरा

पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148  
गिरीषेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10  
(महाराष्ट्र राज्य)

*Jr*  
(पवन कुमार शर्मा)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष कमांक-2  
*Deepak*  
For, SRS Power Generation Limited (Pvt) Ltd  
(दीपक गुप्ता)

संयुक्त प्रबंध संचालिक,  
“एस.के.एस. पॉवर जनरेशन  
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड”

क्रमांक / ४५९७ प्रस्तुति / भू-अर्जन / 2011 छिंदवाड़ा, दिनांक ०२/०६/२०११

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक / ०३ / अ-८२ / २०१०-११

### अनुबंध-पत्र (करारनामा)

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिति भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्यत्यार— श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक .....०२..... जून 2011 को संपादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा—112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :—

## “परिशिष्ट-1”

ग्राम— मन्दानगढ़ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

क्र.	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर में	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टेयर में	अर्जन स्थल पर आने वाली संपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	रामकिशोर सुरेश प्रेमचंद देवचंद महेश व रामकिशन पिता होरी गोड़, निरो कोल्हिया भूमिस्वामी	1	0.279	0.279	—
2	योग तुलाराम पिता प्रेमलाल कतिया निरोग्राम भूमिस्वामी	01 3/2	0.279 2.023	0.279 2.023	महुआ—02, चार—02, फिलमा—02
3	योग अमरचंद, बलदेव पिता चरणलाल मेहरा निरोग्राम भूमिस्वामी	01 2/1	2.023 0.900	2.023 0.900	—
4	योग मुकेश पिता नरेश मेहरा निरोग्राम भूमिस्वामी	01 2/2	0.900 0.302	0.900 0.302	—
5	योग अकलू पिता रामचन्द गोड़ निरोग्राम भूमिस्वामी	01 4/1 5/4 8 9/18	0.302 0.232 0.465 0.260 0.242	0.302 0.232 0.465 0.260 0.242	महुआ—02, चार—04, महुआ—01 चार—01 मकान कच्चा—01 कुंआ कच्चा—01 चार—01 महुआ—01,
6	योग भगलू पिता रामचन्द गोड़ निरोग्राम भूमिस्वामी	04 4/2 5/1 5/5 9/10 10/4 9/17	1.199 0.244 0.121 0.365 0.465 0.705 0.284	1.199 0.244 0.121 0.365 0.465 0.705 0.284	कुंआ कच्चा—01 महुआ—02 मकान कच्चा—01 महुआ—03 चार—04
	योग	04	1.819	1.819	

7	भगत पिता रामचन्द गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{4}{3}$	0.201 0.270	0.201 0.270	कुंआ कच्चा— महुआ — 02, चार — 03,	
		$\frac{5}{2}$				
		$\frac{10}{1}$				
			0.471	0.471		
8	जागलाल पिता रामचन्द गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{5}{6}$	0.345	0.345	महुआ — 03, चार — 04,	
		$\frac{9}{12}$	0.829	0.829	कुंआ कच्चा—01	
		योग	03	1.645	1.645	
9	सुरेश, किरेश, नरेश, पिता किसन अकलु बेबा किसन गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{4}{4}$	0.545	0.545	महुआ — 02, चार — 02	
		$\frac{5}{3}$				
		$\frac{10}{2}$				
		$\frac{5}{7}$	0.303	0.303	महुआ — 03, चार — 03	
10	रामजी पिता बाराती गोडनिं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{9}{11}$	0.585	0.585	मकान कच्चा—01	
		$\frac{9}{16}$	0.262	0.262	महुआ — 01, चार — 01	
		योग	04	1.695	1.695	
11	सोमजी पिता बाराती गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{5}{8}$	0.585	0.585	महुआ — 02, चार — 03, सारगैन—04	
		$\frac{6}{1}$				
		$\frac{9}{6}$	0.555	0.555		
		$\frac{9}{7}$	0.405	0.405	कुंआ पक्का—01	
12	बाल गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{9}{14}$	0.161	0.161		
		योग	04	1.706	1.706	
		$\frac{5}{9}$	0.685	0.685	महुआ — 02, चार — 01	
13	बाल गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{6}{2}$				
		$\frac{5}{14}$	0.041	0.041	महुआ — 01	
		$\frac{9}{5}$	0.161	0.161		
			0.202	0.202		
14	सोमजी पिता बाराती गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{9}{9}$	0.958	0.958		
		योग	03	1.845	1.845	
		$\frac{5}{10}$	0.507	0.507	महुआ — 03, चार — 05	
15	सोमजी पिता बाराती गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{7}{1}$				
		$\frac{5}{13}$	0.586	0.586		
		$\frac{9}{4}$				
		$\frac{9}{8}$	0.566	0.566		
16	सोमजी पिता बाराती गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{9}{13}$	0.161	0.161		
		योग	04	1.820	1.820	
17	सोमजी पिता बाराती गोड निं० ग्राम भूमिस्वामी					

12	सकरु पिता ईन्दरसिंह गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{5}{11}$ $\frac{7}{2}$	0.257	0.257	चार — 02
	योग	01	0.257	0.257	
13 A	सकरलाल पिता ईन्दरसिंह गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{5}{12}$ $\frac{9}{3}$ $\frac{10}{3}$	1.259	1.259	कुंआ कच्चा—01 महुआ — 01, चार — 03
		9/15	0.161	0.161	
	योग	02	1.420	1.420	
14	मकरलाल पिता ईन्दरसिंह गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{5}{15}$	0.257	0.257	चार—02
		7/3			
	योग	02	0.257	0.257	
15	सेहतलाल पिता अनकू गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{11}{1}$	0.809	0.809	महुआ—02
		18/3	0.672	0.672	मकान कच्चा—0 कुंआ पक्का —01 महुआ—03 चार— 02
	योग	02	1.481	1.481	
16	गणिया बाई पति शिबू गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	11/2	1.389	1.389	महुआ — 02, चार — 02 कहुआ— 02
	योग	01	1.389	1.389	
17	मनेश पिता झनका गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	11/3	0.576	0.576	मकान कच्चा—01 कुंआ कच्चा—01 आम— 01 चार— 04
		12/6	0.121	0.121	
		12/7	0.101	0.101	
		12/8	0.128	0.128	
	योग	04	0.926	0.926	
18	रुसीलाबाई पति मनेश गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	$\frac{11}{4}$ $\frac{12}{1}$	0.405 0.121	0.405 0.121	पलाश —01 बेर— 01 चार— 01
			0.526	0.526	
		17/10	0.008	0.008	महुआ —01 सेमर — 01 चार — 01
		18/2	0.400	0.400	
		18/5	0.430	0.430	
	योग	05	1.364	1.364	
19	रुसीलाबाई पति मनेश गोड विसरवती पति गनाराम गोड निः 0 ग्राम भूमिस्वामी	22/1	0.339	0.339	कुंआ कच्चा —01
	योग	01	0.339	0.339	

20	विसरवती पति गनाराम गोड निःग्राम भूमिस्वामी	11/5 12/5 } }	1.000	1.000	महुआ — 02 आम — 03 चार — 02 साज— 03 तिनसा— 08 जाम— 04
		17/6	0.008	0.008	
		18/4	0.435	0.435	महुआ — 01 चा — 05
	योग		03	1.443	1.443
21	गनाराम पिता झनका गोड निःग्राम भूमिस्वामी	11/6 12/9 }	0.212	0.212	महुआ—01 चार—05
		12/3	0.229	0.229	कुंआ कच्चा —0 महुआ —01 चार — 02
		12/4	0.060	0.060	
		18/1	0.400	0.400	मकान कच्चा 0 कुंआ कच्चा 01 आम —01
	योग		04	0.901	0.901
22	सुकर बेबा ऐतू बक्तू पिता ऐतू गोड निःग्राम भूमिस्वामी	12/2	0.405	0.405	महुआ —02 चार — 03
		17/3	0.261	0.261	
		17/5	0.073	0.073	महुआ —02 चा — 02
	योग		03	0.739	0.739
23	हेमचंद पिता कन्हैया कंतिया निःग्राम भूमिस्वामी	13	0.206	0.206	महुआ —01
		25/1	0.540	0.540	कुंआ कच्चा—01 आम— 02 महुआ —02 चार — 04
		33/3	0.089	0.089	चार — 04
		81	0.121	0.121	जाम— 02
		82	0.040	0.040	
	योग		05	0.996	0.996
24	जयवंती पति दिनेश गोड निःग्राम भूमिस्वामी	14/1	0.074	0.074	कुंआ पक्का—01 आम—02 चार—01 महुआ—01
		23/1 24/1 }	0.186	0.186	आम—04
	योग		02	0.260	0.260
25	तिलका बाई पति जंगलू गोड निःग्राम भूमिस्वामी	14/2	0.148	0.148	कुंआ कच्चा—01 आम—02 चार—01 महुआ—01
		14/3	0.073	0.073	

		17/2 17/11 23/3 24/4}	0.388	0.388	कुआ पक्का -01
	योग	03	0.609	0.609	
26	दयाराम, मयाराम, बलराम, जंगी पिता झाडू सुमरवती बेबा झाडू विनोद पिता कृपाल मु. सतवंती बेबा कृपाल जाति लोहार निराम भूमिस्वामी	15  16	0.332 0.340	0.332 0.340	आम-01 चार-02 महुआ-02 मिलवा-01  आम-02 चार-08 महुआ-02
	योग	02	0.672	0.672	
27	भेदाबाई पति बेनीराम गोली निराम भूमिस्वामी	17/4  25/2 30	0.324 1.096 0.486	0.324 1.096 0.486	चार-02  कुआ कच्चा -01 चार-02
		27/1  33/2	1.582 0.032 0.073	1.582 0.032 0.073	
		33/12	0.607	0.607	
	योग	06	2.618	2.618	
28	कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया (शा.पट्टेदार) निराम भूमिस्वामी कन्हैयालाल पिता गुलाब कतिया निराम भूमिस्वामी	17/8  22/3 80	1.619 0.061 0.825	1.619 0.061 0.825	महुआ-01  कुआ कच्चा-01
	योग	03	2.505	2.505	
29	सिपतलाल पिता किशन लाल गोड निराम भूमिस्वामी	17/9  24/2	0.195 0.473	0.195 0.473	कुआ पक्का -01 आम-02 महुआ-01
			0.668	0.668	
	योग	01	0.668	0.668	
30	पूना, पिता दादू कतिया निराम भूमिस्वामी	31/1 32/1 33/8 33/9	0.016 0.401 0.138 0.792	0.016 0.401 0.138 0.792	चार-04 महुआ-02
			1.347	1.347	
		33/6	0.429	0.429	चार-01
	योग	02	1.776	1.776	
31	पन्ना पिता दादू कतिया निराम भूमि-स्वामी	19/1  33/7 33/10	1.541 0.502 0.308	1.541 0.502 0.308	चार-02 महुआ-04 मिलवा-02  चार-05
	योग	03	2.351	2.351	

32	गंगीर पिता थूठी गोड़ निःग्राम भूमिस्वामी	19/2	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	महुआ-01
		31/3	<b>0.340</b>	<b>0.340</b>	
		31/4	<b>0.506</b>	<b>0.506</b>	बरगद-01
		33/14	<b>0.323</b>	<b>0.323</b>	
A	योग	<b>04</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	
33	बलीराम पिता भादू कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	72/6	<b>0.900</b>	<b>0.900</b>	चार-02 महुआ-01 कुआ कच्चा-0
	योग	<b>01</b>	<b>0.900</b>	<b>0.900</b>	
34	कबीरदास-श्याम-रवि पिता बलीराम कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	20/1	<b>0.945</b>	<b>0.945</b>	चार-04 महुआ-02
		21	<b>0.729</b>	<b>0.729</b>	चार-06 महुआ-03
		20/2	<b>0.382</b>	<b>0.382</b>	
		31/7	<b>0.708</b>	<b>0.708</b>	चार-06 महुआ-03
		33/11	<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	चार-05 महुआ-03
		72/7	<b>0.312</b>	<b>0.312</b>	
		<b>06</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	
35	महेश पिता मथुराप्रसाद-परमानंद सोनू नाना. पिता नरेश पा.मा. शारदा बेबा नरेश टिकमगी बेबा मथुराप्रसाद लौहार निःग्राम भूमिस्वामी	22/2	<b>0.356</b>	<b>0.356</b>	चार-10 महुआ-04
	योग	<b>01</b>	<b>0.356</b>	<b>0.356</b>	
36	शांति पति कलिराम कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	23/2 24/3	<b>0.607</b>	<b>0.607</b>	कुआ कच्चा-01 चार-05
	योग	<b>01</b>	<b>0.607</b>	<b>0.607</b>	
37	भगवत प्रसाद पिता कन्हैया कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	25/3	<b>0.556</b>	<b>0.556</b>	चार-02 महुआ-01
		83/1	<b>0.308</b>	<b>0.308</b>	
	योग	<b>02</b>	<b>0.864</b>	<b>0.864</b>	
38	कलिराम पिता भादू कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	26	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	कुआ कच्चा-01 आम-05 जाम-01 बेर-01 गुरार-02
		29	<b>0.526</b>	<b>0.526</b>	बेर-01 गिला-01
		78	<b>0.445</b>	<b>0.445</b>	
		79	<b>0.251</b>	<b>0.251</b>	आम-02 महुआ-02
			<b>0.696</b>	<b>0.696</b>	
		<b>03</b>	<b>2.294</b>	<b>2.294</b>	
39	कैलाश पिता कलिराम, अतरो पति कलिराम कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	27/2	<b>0.777</b>	<b>0.777</b>	मोयन-01 आम-02 जामुन-01 महुआ-01
	योग	<b>01</b>	<b>0.777</b>	<b>0.777</b>	

40	रामस्वरूप पिता रम्मू कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	28/1	0.563	0.563	
	योग	01	0.563	0.563	
41	गोविंद, रेखन पिता अनूप गौली निःग्राम भूमिस्वामी	28/2	0.030	0.030	कुंआ कच्चा-0 आम-03
		65/2	0.012	0.012	
	योग	02	0.042	0.042	
42	संतलाल पिता गंगीर गोड निःग्राम भूमिस्वामी	31/5	0.210	0.210	
	योग	01	0.210	0.210	
43	शिवचरण पिता मनू शापटटेदार निःग्राम भूमिस्वामी	32/2 (33/1 में से)	1.982	1.982	
	योग	01	1.982	1.982	
44	दिनेश पिता विष्ट गोड निःग्राम भूमिस्वामी	33/4	0.138	0.138	
		65/3	0.004	0.004	
	योग	02	0.142	0.142	
45	अजय विककी पिता जतिराम, ममता बेबा जतिराम, रत्नलाल पतिराम पिता गंगाराम, कतिया निवारी ग्राम- निःग्राम भूमिस्वामी	31/6	0.616	0.616	
		33/5	0.276	0.276	
		33/15	1.112	1.112	
		72/1	0.405	0.405	चार-01 महुआ-01
		72/5	1.120	1.120	चार-02 महुआ-02
		75/6	0.049	0.049	चार-1
		योग	06	3.578	3.578
46	रमेश-सरस-बन्तु-नेपाल त्रिलोकचंद, रमेशबती, सरसवती, सरला पिता बुद्ध फूल्लो वि. बुद्ध गौड निःग्राम भूमि स्वामी शापटटेदार गोड निःग्राम भूमिस्वामी	33/13	0.567	0.567	
	योग	01	0.567	0.567	
47	परताप पिता बरियारी गोड निःग्राम भूमिस्वामी	65/4	0.020	0.020	
		68/1	0.389	0.389	
		69/1	0.404	0.404	कुंआ कच्चा-01 आम-01
	योग	03	0.813	0.813	
48	मेहताब पिता बरयारी गोड निःग्राम भूमिस्वामी	65/5	0.025	0.025	
		69/6	0.160	0.160	
		69/7	0.365	0.365	
		74/2	0.174	0.174	भिलवा-01 चार-02
		75/7	0.154	0.154	चार-01
	योग	05	0.878	0.878	

48	सतिया बेवा झामरलाल बंशी बंशलाल—अंशलाल पिता झामरलाल निःग्राम भूमिस्वामी	66	0.914	0.914	मकान कच्चा—01	
		127 / 1च	0.101	0.101		
			1.015	1.015		
	योग	01	1.015	1.015		
50	नवीन कुमार पिता सुमरुलाल कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	67 / 1	1.003	1.003	मकान कच्चा—01	
	योग	01	1.003	1.003		
51	भारत पिता भागचंद गोड निःग्राम भूमिस्वामी	67 / 2	0.105	0.105		
		75 / 2	0.287	0.287	कुआ कच्चा—01 भिलवा—01 चार—01 महुआ—01	
		76 / 1	0.081	0.081		
		77 / 1	0.250	0.250		
			0.331	0.331		
	योग	03	0.723	0.723		
52	अरविंद पिता महेश कुमार गोड निःग्राम भूमिस्वामी	67 / 3	0.344	0.344	मकान पक्का—01 सागौन—40 आम—30 आंवला—150	
		69 / 12	0.805	0.805		
	योग	02	1.149	1.149		
53	सरविंद पिता महेश कुमार गोड निःग्राम भूमिस्वामी	67 / 4	0.344	0.344	मकान कच्चा—01 सागौन—200 आम—165 नीबू—04 बादाम—02 नारियल—05 जाम—07 जामुन—03 लौंग—01 खारक—01	
		69 / 13	0.804	0.804		
		73 / 1	0.445	0.445		
		73 / 2	0.231	0.231		
		75 / 5	0.097	0.097		
		76 / 2	0.575	0.575		
		77 / 2				
	योग	06	2.496	2.496		

54	शिबू पिता बरयारी गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	68/2 69/8 76/3 77/3	0.380 1.100 0.101 0.660 0.761	0.380 1.100 0.101 0.660 0.761	आम-01 महुआ-03 चार-12
	योग	03	2.241	2.241	
55	पारवति पति महेश गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/2	0.900	0.900	कुंआ कच्चा-02 आम-03 जाम-03 चार-01 सागौन-108 कटहल-03 जामुन-01
	योग	01	0.900	0.900	
56	सुकदास, सुकदयाल, सुकलाल, पिता भारत गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/3	0.700	0.700	कुंआ कच्चा-01
	योग	01	0.700	0.700	
57	हरलाल पिता भागचंद गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/4	0.700	0.700	कुंआ पक्का-01 महुआ-01 आम-01 भिलवा-01
	योग	01	0.700	0.700	
58	बतसिया बेबा भागचंद गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/5 74/1	0.623 0.551	0.623 0.551	महुआ-01
	योग	02	1.174	1.174	
59	रामाधार पिता बरयारी गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/9 69/10 75/8	0.160 0.382 0.097	0.160 0.382 0.097	कुंआ पक्का-01 महुआ-01
	योग	03	0.639	0.639	
60	अमलसी, कमलसी पिता रामप्रसाद, कुसमाबाई बेबा रामप्रसाद गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	69/11	0.383	0.383	
		01	0.383	0.383	
61	जयविंद पिता हरलाल, गोंड निःग्राम भूमिस्वामी	70	0.275	0.275	
	योग	01	0.275	0.275	
62	गंगाराम पिता भादू कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	72/2	0.900	0.900	मकान कच्चा-01 कुंआ कच्चा-01 महुआ-01
	योग	01	0.900	0.900	
63	शीला पति गंगाराम कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	72/3 72/4	0.405 0.750	0.405 0.750	महुआ-01 चार- 02 महुआ-02 चार- 02
	योग	02	1.155	1.155	

64	जय हिंद पिता हरलाल गोड़ निंग्राम भूमिस्वामी	75/3	0.174	0.174	
		75/4	0.008	0.008	
			0.182	0.182	
		77/4	0.341	0.341	
योग		03	0.523	0.523	
65	चंतराम पिता गुलदास कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	83/2	0.307	0.307	
योग		01	0.307	0.307	
66	पवन नांबां पिता नारायण पांमां, वो. खुर्द मूलाबाई बेबा नारायण कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	84/1	0.415	0.415	
		84/3	0.201	0.201	चार- 02
योग		02	0.616	0.616	
67	रामनाथ पिता बसोडी कतिया निंग्राम भूमि स्वामी	84/12	0.161	0.161	
		103/3	0.506	0.506	
योग :-		02	0.667	0.667	
68	धूरा पिता जुहार कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	84/4	0.302	0.302	
		84/10	0.181	0.181	
		84/13	0.160	0.160	
		103/2	0.385	0.385	महुआ-01
योग		04	1.028	1.028	
69	ताराचंद पिता छुकलू कतिया	85/1	0.676	0.676	
		85/4	0.674	0.674	
योग		02	1.350	1.350	
70	सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	84/6	0.282	0.282	
		84/9	0.282	0.282	चार- 01
		84/15	0.153	0.153	
योग		03	0.717	0.717	
71	राजकुमार पिता तिलकू कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	84/7	0.546	0.546	चार- 01
		84/14	0.101	0.101	चार- 01
योग		02	0.647	0.647	
72	सुपीया बेबा लालदास कतिया निंग्राम भूमिस्वामी	84/8	0.283	0.283	
योग		01	0.283	0.283	
73	पुसू-लोटन-अटल पिता गोठल गोली निवासी खकरा चौरई	86	0.186	0.186	
		87	0.081	0.081	
		92	1.372	1.372	महुआ- 01
योग		03	1.639	1.639	

74	रामस्वरूप, राजकुमार पिता मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	88/2	1.114	1.114	
	योग	01	1.114	1.114	
75	बिसनलाल पिता जुहार कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	103/1	0.404	0.404	महुआ—02 चार—02
	योग	01	0.404	0.404	
76	श्यामलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	84/5 89/1 90/1 102/1	0.322 0.040 0.202 0.534	0.322 0.040 0.202 0.534	
			0.776	0.776	
		89/2 90/2 102/2	0.081 0.040 0.103	0.081 0.040 0.103	
			0.224	0.224	
	योग	03	1.322	1.322	
77	विनोद पिता बिसनलाल कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	84/11 96/02	0.381 0.829	0.381 0.829	
	योग	02	1.210	1.210	
78	कूवरलाल पिता बिसनलाल कतिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/4 90/4 102/4	0.053 0.178 0.231	0.053 0.178 0.231	
			0.462	0.462	
		89/5 90/5 102/5	0.040 0.243 0.226	0.040 0.243 0.226	
			0.509	0.509	
	योग	02	0.971	0.971	
79	लाला पिता टीकाराम गोड निःग्राम भूमिस्वामी	89/3 90/3 102/3	0.243 0.607 1.214	0.243 0.607 1.214	महुआ—04 चार—04
			2.064	2.064	
	योग	01	2.064	2.064	
80	टीपू पिता दुबे मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	93/1 94/1 97/2 98/2	0.112 0.008 1.000	0.112 0.008 1.000	
	योग	03	1.120	1.120	
81	अनुसूईया पति टीपू मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	93/2 94/2	1.300	1.300	महुआ—01 चार—01
	योग	01	1.300	1.300	

82	जियन पिता दूषे मेहरा निःग्राम, भूदान-धारक	95	0.219	0.219	महुआ—01
		96/1	0.186	0.186	
			0.405	0.405	
	योग	01	0.405	0.405	
83	बतसिया पिता असाडू गोड निःग्राम भूमिस्वामी	97/3	0.131	0.131	चार—04
	योग	01	0.131	0.131	
84	रामप्रसाद महालाल पिता पन्ना गौली निःग्राम भूमिस्वामी	98/1	0.734	0.734	
	योग	01	0.734	0.734	
85	लेखराम—बबलू—पिंकू—सुनीता—अनिता पिता कन्हैया—सुमंत्रा बेबा कन्हैया, गोपाल—रज्जू—रम्मू—जैवंति—छोटीबाई पिता नन्हे, चम्पा बेबा नन्हे, बलदेव, रेवाराम, केवलराम, पार्वती, नन्हरवति पिता लक्खू, तिजिया बेबा, लक्खू मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	99	0.577	0.577	
		100/1	0.735	0.735	
		109/3			
	योग	02	1.312	1.312	
86	पारवती पति संतोष, बलदेव पिता लक्खू मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	100/2	0.405	0.405	
		109/13			
		100/3	1.011	1.011	
		109/14			
	योग	02	1.416	1.416	
87	ललता पति सांऊलाल कतिया निःग्राम भूमिस्वामी	85/2	1.189	1.189	
		85/3	0.324	0.324	
	योग	02	1.513	1.513	
88	लेखराम पिता कन्हैयालाल सुरेश—पिंकू ना.बा. पिता कन्हैया पा.मा. वो खुद सुमंत्रा बेबा कन्हैयालाल मेहरा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	100/4	0.405	0.405	
		109/15			
		100/5	1.011	1.011	मिलवा—02 चार—10
		109/16			
	योग	02	1.416	1.416	
89	राजू राजेश पिता टीपू मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	101/1क	0.749	0.749	कुंआ कच्चा—01 महुआ—01
		105/1क			
		101/4	0.243	0.243	
		105/4			
		101/14	0.064	0.064	
		105/15			
	योग	03	1.056	1.056	
90	श्री चंद पिता झीनो मेहरा निःग्राम भूमिस्वामी	101/1ख	0.270	0.270	
		105/23	0.202	0.202	
	योग	02	0.472	0.472	

91	डिमाकचंद पिता झीनो मेहरानि०ग्राम भूमिस्वामी	101/1 ग	0.269	0.269	कुंआ कच्चा- 01
	योग	01	0.269	0.269	
92	गुमान सिंग पिता झीनो मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी	101/1घ	0.270	0.270	सागौन- 01 जाम- 01
	योग	01	0.270	0.270	
93	पूर्णलाल पुसराज पिता सीताराम मेहरा नि०ग्राम भूमिस्वामी	101/2 } 105/2 }	0.081 0.628 0.709 101/19 } 105/20 } 101/22 } 105/23 }	0.081 0.628 0.709 0.264 } 0.243 } 0.507	0.081 0.628 0.709 0.264 } 0.243 } 0.507
	योग	02	1.216	1.216	
94	मोहना पिता टीकाराम गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी	101/3 } 105/3 }	0.081 0.632 0.713 105/14 }	0.081 0.632 0.713 0.405	महुआ-01 चार- 02
	योग	02	1.118	1.118	
95	आशीष पिता घासीराम गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी	101/5 } 105/5 }	0.283 0.445 0.728 116/3 }	0.283 0.445 0.728 0.146	पीपल-01
	योग	02	0.874	0.874	
96	मोहना,लाला,पिता टीकाराम फूल्ली बेबा टीकाराम गोंड नि.ग्राम भूमिस्वामी	101/6 } 105/6 }	0.142 0.404 0.546 101/8 } 105/8 }	0.142 0.404 0.546 0.121 0.162 0.283 101/10 } 105/10 }	0.142 0.404 0.546 0.121 0.162 0.283 0.105 0.753 0.858 109/11 }
	योग	04	1.784	1.784	
97	राजेश पिता घासीराम गोंड नि०ग्राम भूमिस्वामी	101/7 } 105/7 }	0.162 0.142 0.304 101/11 }	0.162 0.142 0.304 0.081	महुआ-01 चार- 04 बरगद-01?
	योग	04	0.857	0.857	

98	श्री चंद—गुमानसिंग पिता झीनो महरा नि ग्राम भूमि स्वामी	101/9	0.081	0.081	
		105/9	0.923	0.923	
			1.004	1.004	
	योग	01	1.004	1.004	
99	मुठ सविता बेबा झानी—आशाराम, राहुल, ना.बा. पिता झानी पा.मा.सविता राजा पिता किशोर, कृष्णबाई बेबा किशोर मेहरा नि. ग्राम भूमिस्वामी	101/17			
		105/18	0.749	0.749	
		101/18			
		105/19	0.064	0.064	
			0.813	0.813	
		101/21			
		105/22	0.243	0.243	
	योग	03	1.056	1.056	
100	सुनीता बाई पति घासीराम गोड निवास ग्राम भूमिस्वामी	105/11 क	0.900	0.900	कुआ पक्का—01 महुआ—01 आम—02
	योग	01	0.900	0.900	
101	हेमराज पिता जीयन मेहरा निवास ग्राम भूमिस्वामी	101/15	0.749	0.749	
		105/16			
		101/16	0.064	0.064	
		105/17			
			0.813	0.813	
		101/20			
		105/21	0.243	0.243	
	योग	03	1.056	1.056	
102	महेश पिता मथुराप्रसाद लोहारनि ग्राम भूमिस्वामी	101/13	0.121	0.121	कुआ कच्चा—01
		105/13	0.121	0.121	
	योग	02	0.242	0.242	
103	सीताराम पिता दुबे मेहरा नि ग्राम भूमिस्वामी	101/12	0.121	0.121	कुआ कच्चा—01 जाम—02 नींबू—01 आम—01
		105/12	0.057	0.057	
		116/2	0.016	0.016	
		चोड़	0.194	0.194	
	योग	01	0.194	0.194	
104	रामू पिता झाड़ गोड नि ग्राम भूमिस्वामी	104	1.141	1.141	
	योग	01	1.141	1.141	
	महायोग :-		112.317 हेक्टेयर	112.317 हेक्टेयर	12 मकान कच्चे/पक्के 33 कुंए कच्चे/पक्के विभिन्न प्रजातियों के 918 वृक्ष

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू) "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू—अर्जन आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू—अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू—अर्जन की सशर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है। इसका इस अनुबंध—पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू—अर्जन अधिनियम 1894 की धारा—41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध—पत्र निष्पादित किया जाता है।

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू—अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू—अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियाँ कंपनी को प्रदान करेगा।

1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—मन्दानगढ़ की निजी भूमि रकबा—112.317 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू—अर्जन आवेदन—पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू—अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू—अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्त या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे।
  - (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
  - (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू—अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू—अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत—प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू—अर्जन की कार्यवाही की जाए।
  - (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू—अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू—अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए।
  - (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।

- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्ते आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेगें।
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा।
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा।
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा (धारा 44—ए भू—अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायलटी का भुगतान करना होगा।
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।

- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।
- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू—अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें।
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।

2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्य कर देने की कार्यवाही की जायेगी।
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।
4. भू—अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही है। उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
5. आवेदक कंपनी से भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये।
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद शासन द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलोजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)  
साक्षी क्र.-1

पक्ष कमांक-1  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Nitin*  
नाम :— (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)  
अतिरिक्त कलेक्टर  
पता : शासकीय आवास गृह  
साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी क्र.-2

*S. Singh*  
नाम :— सतपाल सिंह अरोरा  
पिता का नाम :— कस्तूरीलाल जी अरोरा  
पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148  
गिरिपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10  
(महाराष्ट्र राज्य)

*Deepti*  
(पवन कुमार शर्मा)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष कमांक-2

*Deepti C.*  
For, SKG Power Generation (Madhya Pradesh) Ltd.  
(दीपक गुप्ता)  
संयुक्त प्रबंध संचालक,  
“एस.के.एस. पॉवर जनरेशन  
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड”

**क्रमांक/4496 / प्रस्तुत/भू-अर्जन/2011 छिंदवाड़ा, दिनांक 01/06/2011**

**भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत**

**भू-अर्जन राजस्व प्रकरण क्रमांक/ ०४ / अ-८२/२०१०-११**

### **अनुबंध-पत्र (करारनामा)**

यह अनुबंध-पत्र (करारनामा) प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला -छिंदवाड़ा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “राज्यपाल” कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती, और समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस:501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, 400059) जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 का -1 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कंपनी” कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादन पद उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी सम्मिलित है। जिसकी ओर से मुख्यत्वार— श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक ०२.....जून, 2011 को संपादित किया जा रहा है।

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन) कहा गया है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस: 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई,-400059) को छिंदवाड़ा जिले की तहसील—अमरवाड़ा के ग्राम—लछुआ की निजी भूमि रकबा—84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस. के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए परिशिष्ट-1 उल्लेखित निजी भूमि स्वामियों की प्रस्तावित भूमि एवं उस भूमि पर स्थित संरचनाएं एवं स्थित परिसंपत्तियों के भू-अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का क्रमांक-1) के प्रावधानों के अंतर्गत भू-अर्जन किये जाने हेतु आवेदन—पत्र पेश किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया है :—

## “परिशिष्ट—1”

ग्राम— लछुआ तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा की निजी भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों का विवरण

क्रमांक	भूमिस्वामी का नाम पिता/पति का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	ज्ञानाबाई बेवा मंगलसा सुमेरचंद कुबेरचंद जागेश पिता मंगलशा गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	3/1 5	5.532 1.052	5.532 1.052	- -
			6.584	6.584	-
2	लक्षणप्रसाद पिता परसाद कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	210 211/1	1.590 1.274	1.590 1.274	- -
			2.864	2.864	-
3	प्रकाश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	211/2	0.243	0.243	-
	योग :-	1	0.243	0.243	-
4	निरन पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	211/3	0.243	0.243	-
	योग :-	1	0.243	0.243	-
5	गोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	211/4	0.243	0.243	-
	योग :-	1	0.243	0.243	-
6	सोविंद पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	211/5	0.243	0.243	-
	योग :-	1	0.243	0.243	-
7	महेश पिता रोशन कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	211/6	0.243	0.243	-
	योग :-	1	0.243	0.243	-
8	संतकुमार पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	233/2 234/3 247/2 248/2 249/4 253/2	2.468	2.468	-
			2.468	2.468	-
			0.336	0.336	
			2.804	2.804	
9	अगहन, भोजे पिता ताराचंद गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	240/1 246/1 250/1 251/1	0.813 1.000 0.770 0.089	0.813 1.000 0.770 0.089	महुआ—02 कच्चा कुंआ—01
	योग :-	4	2.672	2.672	-

10	सुभाष पिता गुरु गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	240/2	1.000	1.000	पक्का कुंआ-01
	योग :-	1	1.000	1.000	-
11	मेहतर, सेहतर पिता सोपत गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/2	0.015	0.015	कच्चा कुंआ-01
		259/3	2.890	2.890	-
12	ग्यासबती पिता नवलसिंग गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/3	4.211	4.211	-
		योग :-	1	4.211	-
13	सतनीबाई पति सहतर गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/4	0.565	0.565	-
		246/5	0.360	0.360	-
14	सुनिया बेवा लालदास अबीरचंद सुकरचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	246/6	0.405	0.405	-
		योग :-	1	1.330	-
15	गुलदास पिता रामू चैता, सुमेरचंद पिता गुलदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	249/1	0.526	0.526	-
	योग :-	1	0.526	0.526	-
16	सुमरलाल, माना, सम्मा, पतिराम पिता भोपत कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	249/7	0.719	0.719	-
		249/12	0.607	0.607	
		254/5	0.045	0.045	
		255/2	0.092	0.092	
			1.463	1.463	
	योग :-	1	1.463	1.463	-
17	भजनि, खयाली पिता गोलामली कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	249/8	0.478	0.478	-
		254/1	0.141	0.141	
			0.619	0.619	
	योग :-	1	0.619	0.619	-
18	कौशल्या बेवा सूरन बिसनलाल पिता सूरन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	249/9	0.363	0.363	-
		254/2	0.109	0.109	
		254/3	0.081	0.081	
			0.190	0.190	
	योग :-	2	0.553	0.553	-
19	भंगन बेवा गोलन सजनलाल, छोटीबाई, सुकलिया पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	232/3	0.304	0.304	-
		249/10	0.304	0.304	-
	योग :-	2	0.608	0.608	-
20	फकीरचंद, धरमचंद पिता लालदास कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	249/13	0.447	0.447	-
		253/1	0.242	0.242	-
			0.689	0.689	
		255/3	0.095	0.095	
	योग :-	2	0.784	0.784	-

21	मेहतर पिता सोपत गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	250/2 251/2	1.651 0.870	1.651 0.870	- -
	योग :-	2	2.521	2.521	-
22	नरेश पिता असाड़ु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	236/2 238/2 } 247/6 }	0.219 0.554 } 0.196 }	0.219 0.554 } 0.196 }	तिनसा- 15 महुआ- 01 सारान- 01 कच्चा मकान- 01 कच्चा कुंआ-01
		252/2	0.750 0.077	0.750 0.077	
	योग :-	3	1.046	1.046	-
23	सनीराम पिता आसाड़ु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	236/5 252/3 238/4 } 247/7 }	0.219 0.077 0.554 } 0.196 }	0.219 0.077 0.554 } 0.196 }	-
	योग :-	3	0.750 1.046	0.750 1.046	-
24	नारायण पिता असाड़ु कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	252/5 235/2 } 236/3 } 237/1 } 238/3 }	0.109 0.081 } 0.219 } 0.502 } 0.356 }	0.109 0.081 } 0.219 } 0.502 } 0.356 }	तिनसा- 10 बेर - 01 नीलगिरी - 02 बबूल - 01
	योग :-	2	1.158 1.267	1.158 1.267	-
25	उजरलाल पिता बाबू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	254/4 } 255/1 } 247/1 } 248/1 } 249/15 }	0.074 } 0.096 } 0.170 0.047 } 0.142 } 0.570 }	0.074 } 0.096 } 0.170 0.047 } 0.142 } 0.570 }	-
	योग :-	2	0.759 0.929	0.759 0.929	-
26	सूरजवती बेवा सकरलाल, संतराम पिता सकरलाल सविता, अनीता, तिरमाबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	257/1	0.336	0.336	-
	योग :-	1	0.336	0.336	-
27	केराबाई पिता सकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	257/2	0.635	0.635	-
	योग :-	1	0.635	0.635	-
28	जीरा, मीरा पिता रिदो रामजी, सोमजी, किशनलाल पिता बराती गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	258	0.526	0.526	-
	योग :-	1	0.526	0.526	-

29	गणेश पिता सेकू रामवती पिता सेकू गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	260 266	0.364 0.235	0.364 0.235	-
	योग :-	2	0.599	0.599	-
30	सुदमानसा पिता सुमन कचरा बेवा सुमन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	261/1 262/1	0.710 0.969	0.710 0.969	पक्का कुआ - 01 महुआ - 03 चार - 04
	योग :-	2	1.679	1.679	-
31	सुशीलाबाई पिता गुलमानसा गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	261/3 262/3	0.500 ] 0.500 ] 1.000	0.500 ] 0.500 ] 1.000	-
	योग :-	2	1.000	1.000	-
32	गुलमानसा पिता वीरन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	261/2	1.214	1.214	चार - 02 महुआ - 01 आम - 01
	योग :-	1	1.214	1.214	-
33	रामकली पिता जगन कुसुम बाई बेवा जगन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	262/2	0.129	0.129	-
	योग :-	1	0.129	0.129	-
34	बिस्तू पिता मिंटू, ज्ञानलाल, ज्ञानचंद पिता सूबेलाल सोमवती बेवा गनपत समलवती बेवा सखाराम अशोक, संतोष, कमल पिता सखाराम गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/1 264/1	1.376 2.395	1.376 2.395	आम - 02 चार - 10 महुआ - 02 महुआ - 02
	योग :-	2	3.771	3.771	-
35	सेहतर पिता सोपत गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/2 ] 264/2 ]	1.130 ] 1.719 ] 2.849	1.130 ] 1.719 ] 2.849	कच्चा कुआ - 01
	योग :-	1	2.849	2.849	-
36	अगहन पिता ताराचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/3 ] 264/3 ]	0.405 ] 0.809 ] 1.214	0.405 ] 0.809 ] 1.214	-
	योग :-	1	1.214	1.214	-
37	भोजे पिता ताराचंद गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/4 ] 264/4 ]	0.344 ] 0.870 ] 1.214	0.344 ] 0.870 ] 1.214	-
	योग :-	1	1.214	1.214	-
38	धीरा पिता सुककन गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	263/5 ] 264/5 ]	0.324 ] 0.162 ] 0.486	0.324 ] 0.162 ] 0.486	-
	योग :-	1	0.486	0.486	-
39	ज्ञानचंद, ज्ञानलाल पिता सूबेलाल गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	265/1 268/14	3.480 1.356	3.480 1.356	महुआ - 07 चार - 03
	योग :-	2	4.836	4.836	-

40	संतरा, केशरिया, किसिया पिता शंकरलाल संतकुमार पिता शंकरलाल कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	265/2	0.688	0.688	-
		268/7 ]	0.971 ]	0.971 ]	-
		268/9 ]	0.202 ]	0.202 ]	-
	योग :-	2	1.173	1.173	-
41	सामवतीबाई बेवा सखाराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	267/1	1.610	1.610	-
	योग :-	1	1.610	1.610	-
42	अशोक पिता सखाराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	267/2	1.845	1.845	-
	योग :-	1	1.845	1.845	-
43	संतोष पिता सखाराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	267/3	1.846	1.846	-
	योग :-	1	1.846	1.846	-
44	कमल पिता सखाराम गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	267/4	1.846	1.846	-
	योग :-	1	1.846	1.846	-
45	मीराबाई बेबा धीरा गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	268/4 ]	0.475	0.475	-
		268/8 ]	0.477 0.952	0.477 0.952	-
	योग :-	1	0.952	0.952	-
46	मलखू पिरमू पिता दल्लू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	268/6	0.016	0.016	-
	योग :-	1	0.016	0.016	-
47	बिस्तू पिता मिटू गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	269	0.583	0.583	पक्का मकान - 01 कुआ कच्चा - 01
	योग :-	1	0.583	0.583	-
48	बुधन पिता बाबाजी गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी	271 ]	0.849	0.849	महुआ - 04 चार - 01
		272 ]	0.523 1.372	0.523 1.372	
	योग :-	1	1.372	1.372	-
49	मधुकर, विद्याधर पिता शंकरराव पुष्पा बेवा रमाकांत राजू, जयंत, आनंद पिता रमाकांत छाया बेवा दत्तात्रेयराव, किरण पिता दत्तात्रेयराव नीता बेवा सुरेश ब्राह्मण निवासी ग्राम भूमिस्वामी	273	1.056	1.056	-
	योग :-	1	1.056	1.056	-
50	फागलाल, अमरचंद पिता गोलन छोटीबाई, सुकलीबाई पिता गोलन भंगन बेवा गोलन सजनलाल, जगनलाल पिता गोलन कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	231	0.458	0.458	-
		232/1 ]	0.486 ]	0.486 ]	-
		234/1 ]	0.061 ]	0.061 ]	-
		249/2 ]	3.460 ]	3.460 ]	-
	योग :-	2	4.007	4.007	-
	योग :-	2	4.465	4.465	-

51	ग्यासबती बेवा झनकलाल ममता, शकुन, शाति पिता झनकलाल, बलराम पिता झनकलाल कलार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	230/1	1.549	1.549	-
	योग :-	1	1.549	1.549	-
52	मंतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	236/4 237/3 247/4 249/14	0.013 0.125 0.027 1.127	0.013 0.125 0.027 1.127	चार - 08 तिनसा - 02
	योग :-	1	1.292	1.292	
53	संतलाल पिता बैसाखू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	235/3 236/1 237/1 247/3 248/3 249/11	0.162 0.013 0.126 0.027 0.101 0.963	0.162 0.013 0.126 0.027 0.101 0.963	बेहड़ा - 01 सागौन - 03
	योग :-	1	1.392	1.392	-
54	उर्मिला पति लखन गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	274	2.016	2.016	-
	योग :-	1	2.016	2.016	-
55	रोशन लालमन, लाला लालचंद, फूलचंद, निरमू हरमन, हरलाल, हल्केलाल, पिता रूपचंद, चूडामन, हीरालाल, मुन्नालाल पिता हरचंद, प्रहलाद मोहनलाल, पिता भागचंद गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	230/2	1.579	1.579	-
	योग :-	1	1.579	1.579	-
56	पिरेश पिता असाढू कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी	172/5 235/3 236/4 237/2 238/3	0.016 0.081 0.219 0.501 0.354	0.016 0.081 0.219 0.501 0.354	चार - 05 साज - 01 बांस - 03 मटुआ - 01 बूरूल - 04 जाम - 01 आम - 02 तिनसा - 02 पीपल - 01 कुण्डे कच्चा - 01 मकान पक्का - 01
	योग :-	1	1.171	1.171	-
	कुल योग				मकान कच्चे / पक्के - 03 कुण्डे कच्चे / पक्के - 08 विभिन्न प्रजातियों के - 119 वृक्ष
			84.606 हेक्टेयर	84.606 हेक्टेयर	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, मध्यप्रदेश शासन उर्जा विभाग भोपाल के मध्य विद्युत उत्पादन के लिए हुये करार (एम.ओ.यू.) “एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड” (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अच्छेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अच्छेरी (ई.) मुंबई, -400059) मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि कार्यों के लिए उक्त विद्युत उत्पादन परियोजना का कियान्वयन प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत भू-अर्जन की सर्त (विहित की गई शर्तों के अधीन) अनुमति प्रदान की गई है। इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है।
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्तों के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-41 के अंतर्गत विहित किये गये प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है। कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है।

### कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है, कि :-

- (क) कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसे समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी।
- (ख) कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा।
- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियों कंपनी को प्रदान करेगा।
1. छिंदवाड़ा जिले की तहसील-अमरवाड़ा के ग्राम-लछुआ की निजी भूमि रकबा-84.606 हेक्टेयर के मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन मध्यप्रदेश लिमिटेड द्वारा पॉवर प्लान्ट एवं कोल वॉसरी की की स्थापना, कार्यालय भवन, स्कूल भवन, लेवर कॉलोनी आदि संकर्मों के निर्माण हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत किये गये भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2011 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ- 12-04/2010/सात/2ए/भोपाल दिनांक 11 मार्च 2011 के अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- (i) आवेदक कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31/10/2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन आवेदक कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिए अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे।
- (ii) आवेदक कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिये पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
- (iii) आवेदक कंपनी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाए।
- (iv) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जाए।
- (v) आवेदक कंपनी द्वारा संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी।
- (vi) आवेदक कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।
- (vii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा।
- (viii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।

- (ix) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है वह उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.
- (x) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य करते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
- (xi) आवेदक कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44—ए भू—अर्जन अधिनियम के तहत)
- (xii) यदि आवेदक कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xiii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
- (xiv) आवेदक कंपनी द्वारा शासन की पुर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
- (xv) आवेदक कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा कि पर्यावरण जल स्त्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
- (xvi) आवेदक कंपनी द्वारा यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं किया जाता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
- (xvii) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा ना तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और ना ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।

- (xviii) आवेदक कंपनी द्वारा मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू—अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई जाने वाली अन्य आवश्यक शर्तें।
- (xix) आवेदक कंपनी द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
- (xx) आवेदक कंपनी द्वारा भूमि जिस प्रयोजन के लिए अर्जित की जा रही हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी।
- (xxi) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (xxii) आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी।
2. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन की कार्यवाही के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि, यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी, इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्य कर देने की कार्यवाही की जायेगी।
3. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू—अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है। यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी।
4. भू—अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व कंपनी से आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति 2007 के अनुसार जिन कृषकों भूमि अर्जित की जा रही हैं। उनके संबंध में क्या सुविधाएं कंपनी देगी, पुर्नवास पैकेज प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5. आवेदक कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जाये।
6. आवेदक कंपनी द्वारा अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबत् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष कमांक-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा एवं पक्ष कमांक-2 की ओर से श्री दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबंध संचालक, जो "एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (मध्यप्रदेश) लिमिटेड" (कार्पोरेट ऑफिस : 501 बी, इलेजेण्ट बिजनेस पार्क, अन्धेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अन्धेरी (ई.) मुंबई, -400059) स्थानीय कार्यालय, विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र उल्लेखित साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है।

साक्षियों के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)  
साक्षी कं.-1

पक्ष कमांक-1  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Ramau*  
नाम :— (डॉ. श्रीनिवास शर्मा)  
अतिरिक्त कलेक्टर  
पता : शासकीय आवास गृह  
साउथ सिविल लाईन छिंदवाड़ा

साक्षी कं.-2  
*Arora*  
नाम :— सतपाल सिंह अरोरा  
पिता का नाम :— कस्तूरीलाल जी अरोरा

पता : 403 गंगाधाम अपार्टमेंट 148  
गिरीपेठ जे.बी.-3 ठक्कर मार्ग नागपुर-10  
(महाराष्ट्र राज्य)

*B*  
(पवन कुमार शर्मा)  
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

पक्ष कमांक-2  
*Dipak Gupta*  
For, SKS Power Generation (M.P.) Ltd.  
(दीपक गुप्ता ) DIRECTOR  
संयुक्त प्रबंध संचालक,  
"एस.के.एस. पॉवर जनरेशन  
(मध्यप्रदेश) लिमिटेड"

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
सिंगरौली, दिनांक 16 मई 2011

क्र. 711-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	भू-अर्जन अधिकारी, चितरंगी	चितरंगी बगैया बाया गेरुई सुलखान मार्ग के किमी. 33/2 में गोतान नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु.
सिंगरौली	चितरंगी	मटिहनी	0.36		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय सिंगरौली में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी.नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र. 877-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 01-अ-2010-11-कले. प्र. क्र. 25-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा., स.स.प. पुनर्वास संभाग बड़वानी।	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर्राज्यीय परियोजना) से प्रभावित ग्राम आवल्दा के पुनर्बसाहट हेतु।
बड़वानी	बड़वानी	भामटा	1.821		

नोट.—2. भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न. घा.वि.प्रा., स.स.प. पुनर्वास संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 मई 2011

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-3982.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	झाड़कुण्ड	8.117	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	झाड़कुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 2009-10-भू-अर्जन-3981.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	घोड़ाडोंगरी	चिखली	9.036	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2, बैतूल.	झाड़कुण्ड जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र. 1559-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	सामली	0.62 योग . . <u>0.62</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	पनास तालाब निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

झाबुआ, दिनांक 27 मई 2011

क्र. 1690-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	चारणपुरा	1.01 योग . . <u>1.01</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	बेड़ा तालाब निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1691-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	पनास	5.02 योग . . <u>5.02</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	पनास तालाब निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1693-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र. . . -अ 82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	काजबी	17.63 योग . . <u>17.63</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	पनास तालाब निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 मई 2011

क्र. क-4187-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			पटवारी	लगभग क्षेत्रफल हल्का नंबर (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
सागर	बण्डा	कैथौरा		82	8.19	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र.).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम—कैथौरा.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-4186-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 19-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये बीला फीडर नहर निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			पटवारी	लगभग क्षेत्रफल हल्का नंबर (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
सागर	शाहगढ़	ततरवारा		44	4.12	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर. (म. प्र.).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु ग्राम—ततरवारा.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्डौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

महू, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 1563-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह

भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा सह 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर (महू).	मानपुर सिहोद खेड़ी दुर्जनपुरा	1.510 2.637 0.020 3.563 योग . .	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, लिमिटेड, इन्दौर.	लेबड़-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए छूटी हुई भूमि का अर्जन.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—लेबड़-मानपुर फोरलेन निर्माण के लिए.				
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 जून 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 276-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्कम (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	1.657	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपर्वतन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ.-10-पत्र क्र. 277-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	9.162	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -10-पत्र क्र. 278-भू-अर्जन-08.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	पथरहटा	0.031	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. संभाग क्रमांक 09, मैहर.	दार्या तट की सतना रीवा मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 जून 2011

प्र. क्र. 2-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अंजित किया जाने वाले हैं	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	कोटरा चौपड़ा	159/3 159/1/1 160/1/1 160/2	1.583 0.809 0.992 1.283	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.
			खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)		सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			167/1	1.263	
			167/2	1.287	
			163	1.619	
			164	0.263	
			165	1.360	
			168	0.150	
			196	0.238	
			198	0.169	
			200	0.259	
			194	0.295	
			197/255/199	0.312	
			209	0.251	
			246/1	0.140	
			246/2	0.133	
			247/1/1	0.084	
			247/1/2	0.084	
			247/2	0.084	
			247/3	0.084	
			160/1/3	0.250	
			160/1/2	1.200	
			167/3	0.093	
			कुल योग . .	<u>14.285</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 4-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम का नाम	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं	खसरा नं. (हेक्टर में) रक्कबा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	खैजड़ा बब्बर	74, 75/1/2क 74, 75/1/2ग 74, 75/1/2ख 73/2 68, 69/2	0.023 0.405 1.619 2.023 1.011	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		67/2	1.214		
		66/2	1.214		
		187/2,		1.023	
		187/1/2/2क			
		59/1	1.000		
		352/60/1	0.057		
		187/2,		1.023	
		187/1/2/2ड			
		61/2	0.040		
		187/2,		1.023	
		187/1/2/2ग			
		61/1	0.253		
		187/2,		1.023	
		187/1/2/2घ			
		51/2	1.214		
		52, 53/2क	0.490		
		52, 53/2ख	0.494		
		56/2/1	1.672		
		56/2/2	1.672		
		187/2,			
		187/1/2/2च 1	0.709		
		149/2/2	0.405		
		56/2/3	1.668		
		56/2/4	1.668		
		26/2क	1.279		
		27/2	0.186		
		187/2,		1.023	
		187/1/2/2ख			
		352/60/2	0.024		
		62	1.404		
		48/1	0.583		
		26/2ख	0.884		
		187/2,		1.011	
		187/1/2/2च2			
		48/2	2.285		
		191	1.076		
		54/2/1	0.583		
		48/3	0.462		
		54/2/3	0.659		
		54/2/2	0.579		
		145/2/2	0.696		
		145/2/1	0.692		
		145/3	0.158		
		146/1	1.268		
		188/2/3/2	1.088		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			146/3/2	0.120	
			147	1.092	
			143/4	1.254	
			146/2	1.011	
			146/3/1	2.833	
			183/2क	0.539	
			187/1/1/1क	0.773	
			183/2ख	0.539	
			187/1/1/1ख	0.773	
			149/2/1	0.405	
			183/2ग	0.539	
			187/1/1/1ग	0.773	
			186	2.262	
			187/1/1/2	2.000	
			192/2/1	3.237	
			192/2/2	2.423	
			कुल योग . .	<u>61.456</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 5-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		अनुसूची	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	बड़ोरी	712	0.050	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट
			713	0.730	अशोक सागर संभाग क्र. 2,
			714	0.200	विदिशा.
			666	0.960	1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु,
			683	1.030	
			715	0.720	
			717	0.500	
			726	0.030	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		581/2	0.700		
		662	0.880		
		663	0.480		
		677	1.130		
		678	0.100		
		679/2	0.040		
		582	0.620		
		583	0.600		
		585	0.080		
		574/1	0.240		
		679/1/1	0.640		
		679/1/2	0.630		
		580	1.000		
		574/2	0.570		
		579/2	0.050		
		724	0.110		
		725	0.850		
		305	1.070		
		732	0.810		
		734	0.820		
		735	0.190		
		736	0.350		
		737	1.120		
		710	0.100		
		711	0.700		
		668	0.160		
		670	0.340		
		671	0.550		
		674	1.250		
		664	0.410		
		665	0.880		
		685/1	0.150		
		792	0.150		
		793	0.770		
		723	0.970		
		727	0.030		
		733	1.410		
		728	1.390		
		729	0.120		
		730	0.260		
		731	0.250		
		कुल योग . .	<u>27.190</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुबिभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 6-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	चार पहाड़ी	181 183 184 185 186 187	0.410 0.100 1.200 0.260 0.130 0.250	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।
			कुल योग . .	<u>2.350</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 7-भू.अ.-ए 82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	रोंदियां	5 19/2 6 19/1	1.490 0.180 1.480 0.130	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		77	0.060		
		11/1	1.380		
		11/2	0.700		
		17	1.380		
		18	1.380		
		27/1	0.230		
		27/2	0.230		
		27/3	0.230		
		27/4	0.120		
		27/5	0.020		
		38	0.100		
		28	0.590		
		29	1.020		
		30	0.820		
		39	0.100		
		31/2	0.360		
		31/1	0.240		
		32	0.610		
		33	1.180		
		40	0.920		
		41	0.460		
		42	0.460		
		71	0.200		
		56	0.320		
		57/1	1.350		
		66	0.070		
		58	0.090		
		63	0.420		
		62	0.510		
		76	0.090		
		64	0.460		
		65	0.450		
		215	0.200		
		67	0.630		
		72	0.160		
		73	0.160		
		74	0.160		
		75	0.060		
		84	0.210		
		86	0.160		
		87	0.170		
		88	0.290		
		89	1.200		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		90	0.710		
		91	2.020		
		92	0.720		
		93	0.300		
		95	0.730		
		312/95	0.730		
		96	0.400		
		98	1.200		
		104	1.050		
		105	0.560		
		106	0.410		
		107	0.160		
		108	4.670		
		113	0.200		
		114	0.090		
		115	0.340		
		116	0.280		
		117	0.430		
		202	0.280		
		234	2.260		
		235/1	0.720		
		235/2	0.060		
		12	0.810		
		कुल योग . .	<u>42.360</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 8-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया	जाने वाले हैं खसरा नं. रक्कमा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	बर्री बगराज	25/1 25/2/2 25/2/1 26	0.364 0.064 0.065 0.125	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा।	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		28	0.619		
		48/1	0.243		
		48/2	0.243		
		49/1	0.206		
		49/2	0.210		
		57	0.429		
		60/1	0.093		
		55/1	0.445		
		175	0.166		
		55/2	0.441		
		58/2	0.138		
		60/2	0.202		
		51/1/1	1.056		
		51/1/2	0.570		
		54/1/3	0.696		
		51/1/3	0.692		
		54/1/1	0.322		
		54/1/2	0.389		
		54/2/2	0.173		
		56/1	0.324		
		56/2	0.174		
		191/2	0.129		
		80	0.251		
		127/2	2.393		
		132/2	0.486		
		336/126	0.299		
		58/1	0.405		
		59/1	0.405		
		59/2	0.105		
		92/1क	1.039		
		92/1ख	1.039		
		92/1ग	0.809		
		82	0.878		
		84, 85/1	0.851		
		87, 82/2, 89/1, 189/1	2.454		
		87, 82/2, 89/1, 189/2	1.011		
		84, 85/2	0.376		
		84, 85/3	0.323		
		87, 82/2, 89/1, 189/3	1.064		
		87, 82/2, 89/1, 189/4	0.242		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		138/2	0.470		
		263,266,269/2	1.784		
		264	0.388		
		265	0.267		
		54/2/1	0.579		
		90/1	1.724		
		137/2/2	0.202		
		249/2/2	0.028		
		251/2	1.902		
		182	0.121		
		90/2	1.429		
		92/2	2.889		
		137/2/1	0.202		
		253/2	1.505		
		253/3	0.162		
		91/1/2	0.934		
		91/1/3	0.312		
		91/1/4	0.316		
		91/1/5	0.312		
		129/2	0.809		
		181/1	0.040		
		129/3	0.809		
		181/2	0.040		
		129/4	0.809		
		181/3	0.040		
		142/1/2	0.684		
		142/2	0.413		
		332/142/1	0.624		
		143/1	1.348		
		144	0.154		
		174/2	0.097		
		81/1	0.708		
		81/2	0.708		
		192	1.720		
		193/2/1ખ	0.506		
		190/2	0.041		
		271	0.611		
		193/2/1ખ	0.506		
		193/2/2	0.506		
		194/2/2	1.538		
		251/1	3.557		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		143/2	1.497		
		247/2	0.045		
		183	0.101		
		248/2	0.417		
		248/3	0.417		
		248/4	0.417		
		258/1	1.820		
		258/2	0.615		
		258/3	0.611		
		258/4	0.611		
		260	0.041		
		261	1.331		
		170, 178, 179/1 ]	0.526		
		170, 178, 179/2/1 ]	0.290		
		170, 178, 179/2/3 ]	0.101		
		170, 178, 179/2/2 ]	0.210		
		170, 178, 179/2/4 ]	0.263		
		263,266,269/1	0.567		
		272/1	0.325		
		272/2	0.700		
		180	0.069		
		185/2	0.081		
		186/1/2	0.016		
		170, 178, 179/2/5क ]	0.100		
		170, 178, 179/2/5ख ]	0.090		
		186/2	0.154		
		कुल योग . .	<u>66.217</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 9-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार,

सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	बगराज	88/1/1 88/1/2 88/1/3 88/2 87 171/1 183/2 203/171/1/2 183/3 183/1 183/4 183/5 184 185 186	0.854 0.854 0.858 2.420 2.132 0.085 0.564 1.214 0.568 0.564 0.809 0.809 0.907 0.930 2.857	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा।	सम्प्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।
			कुल योग . .	16.425		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 10-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	बूद्धौर खुर्द	37/1/1 38/1 31/3, 39, 40 42/1/2क	0.900 0.243 0.299	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			42/43/2	2.023	
			31/3, 39, 40 } 42/1/2ख	1.682	
			31/3, 39, 40 } 42/1/2ग	1.451	
			37/1/2	1.900	
			45	5.381	
			46, 47, ] 48/1/1/2]	3.071	
			46, 47, } 48/2/1	3.035	
			56/3	0.126	
			46, 47, ] 48/2/2 ]	3.035	
			46, 47, ] 48/1/1/1]	3.067	
			56/2	0.125	
			50/1	0.409	
			52/1ख	1.619	
			कुल योग . .	<u>28.366</u>	

(2) भूमि का नक्शा (स्तान) अनुविभागीय अधिकारी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 11-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं			
			खसरा नं. रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	बूधौर कला	39, 40 32,33,34,35,36 47/3 43	2.363 1.210 7.068 0.061	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा।	सम्प्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		44	0.575		
		46	0.239		
		47/1	4.012		
		45	0.352		
		47/2	2.529		
		48/2/2	1.186		
		48/2/1	1.214		
		49/2	2.323		
		52/2	7.324		
		171	0.158		
		181	0.594		
		53/1	2.833		
		53/2	6.621		
		55/1	1.663		
		55/2	1.667		
		56/1	2.902		
		57/1	0.454		
		56/2	2.902		
		58/1	0.343		
		60	0.263		
		58/2	0.654		
		168/2	0.405		
		170	0.093		
		172	0.089		
		173/1	0.057		
		173/2	0.053		
		189/2	0.053		
		217	0.089		
		कुल योग . .	<u>52.349</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 12-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं	रकम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	हिन्डोला	3	0.530	कार्यपालन यंत्री, समाट
			4/2	0.150	अशोक सागर संभाग क्र. 2,
			4/1	0.390	विदिशा.
			5	0.300	समाट अशोक सागर
			7	0.530	जलाशय का जलस्तर
			119	0.040	1504 फिट से 1508 फिट
			13	0.260	बढ़ाने हेतु.
			14	2.730	
			8	3.430	
			15	1.280	
			16	0.400	
			17	0.450	
			18	0.680	
			19	0.080	
			20	1.150	
			21	1.140	
			22	1.130	
			23	1.150	
			25	0.160	
			26	5.570	
			24	0.100	
			27	0.240	
			28	4.210	
			33	1.970	
			34/1	1.320	
			38/1	1.640	
			39/1	0.130	
			40	3.310	
			34/2	0.360	
			35	0.260	
			36	1.430	
			37	1.640	
			38/2	0.200	
			39/2	3.080	
			98	0.540	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	71		0.800		
	70		0.130		
	72		0.070		
	90/1		0.450		
	91/1		1.520		
	107		0.150		
	108		0.450		
	89		0.840		
	82/2		0.170		
	85		0.550		
	86		0.150		
	88		0.320		
	82/1		0.400		
	83		0.940		
	84		0.110		
	87		0.200		
	90/2		2.150		
	91/2		0.140		
	101		0.160		
	103		0.180		
	92		0.800		
	93		0.140		
	94		0.100		
	95		0.530		
	96		0.370		
	100		0.710		
	102		0.200		
	104		1.170		
	105		0.690		
	106		0.300		
	97		1.220		
	99		0.390		
	111		0.300		
	112/1		0.460		
	112/2		0.340		
	113		0.300		
	128/1		0.120		
	122		0.080		
	123		0.300		
	127		0.060		
	115		0.700		
	124		0.900		
	125		0.900		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			130	0.090	
			132	0.450	
			121	0.900	
			129	0.090	
			131	0.450	
			114	0.710	
			128/2	0.060	
			126	1.370	
			133	0.540	
			117	0.360	
			118	0.350	
			120	1.400	
			कुल योग . .	<u>69.710</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 13-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं	खसरा नं. (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/ भोपाल	ऊटखेड़ा	41/1 41/2 42/2 57/3 57/1 67 90/1/1/2 90/1/2/1 44/1 44/2	1.000 1.704 1.364 0.202 2.023 0.405 0.405 1.219 0.733 0.895	कार्यपालन यंत्री, सप्लाइ अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सप्लाइ अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		42/1	0.470		
		241/2	0.065		
		241/1	0.061		
		241/3	0.061		
		241/4	0.178		
		241/5	0.089		
		241/6	0.089		
		<u>238/263/238</u>	1.643		
		2			
		149	1.036		
		150			
		151	0.190		
		152/1			
		150			
		151	1.137		
		152/2			
		150,151,152/3	0.894		
		153	0.247		
		196/1/1	1.500		
		197	1.197		
		199/1/1	1.500		
		201	1.724		
		202	2.379		
		203	1.484		
		204/1	0.688		
		208/1	0.872		
		204/2	0.105		
		205,	0.405		
		208/1/1ખ]			
		205/	0.040		
		208/1/1ખ]			
		205	0.671		
		208/1/2			
		244/1	0.704		
		238/1/2	1.627		
		245	0.206		
		244/2	0.526		
		246/4	1.007		
		246/1	0.303		
		247/1	1.717		
		248/1	0.073		
		246/2	0.405		
		247/2	1.416		
		248/2	0.271		
		246/3	0.607		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			247/3	0.874	
			248/3	0.607	
			237/1	0.858	
			237/2	0.858	
			237/3	0.858	
			237/4	0.862	
			238/1/1	1.109	
			240/1	0.425	
			240/2	0.454	
			240/5	0.040	
			240/3	0.405	
			240/6	0.040	
			240/4	0.506	
			69	1.805	
			83/2	2.023	
			कुल योग . .	<u>49.261</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 14-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले हैं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया/ भोपाल.	पिपलिया कदीम.	284 385 290 361 340 483/1 483/3 488/1 489 488/2 289 291	0.020 0.160 0.410 0.200 0.170 0.030 0.600 0.310 0.140 0.440 0.060 0.170	कार्यपालन यंत्री, सम्प्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा. सम्प्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फीट से 1508 फीट बढ़ाने हेतु।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		341	0.130		
		288	0.200		
		281	0.460		
		249	1.010		
		386	0.140		
		387	0.100		
		264	1.540		
		267	0.130		
		172	0.970		
		269	0.450		
		486	0.890		
		487	0.890		
		490	0.890		
		493/1	0.760		
		492/3	0.200		
		292	0.090		
		297	0.140		
		344	0.050		
		322	0.680		
		324	0.050		
		283	0.550		
		312	0.820		
		313	1.080		
		315	0.090		
		491	0.890		
		300	0.580		
		294	0.060		
		295	0.170		
		309	0.110		
		339	0.200		
		342	0.130		
		343	0.060		
		310	0.110		
		293	0.080		
		296	0.150		
		326	0.090		
		327	0.060		
		484/1	0.240		
		484/3	2.030		
		263	0.230		
		173	0.510		
		302	0.560		
		318/1	0.020		
		319/1	0.100		
		316/1	0.100		
		317/3	0.200		
		332	0.470		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	245		0.360		
	299		0.470		
	334		0.210		
	336		1.250		
	345		0.030		
	346		0.420		
	328		0.050		
	330		0.850		
	298		0.470		
	335		0.070		
	337		0.130		
	338		0.160		
	247		0.360		
	174		0.500		
	308		0.120		
	311		0.120		
	333		0.890		
	319/2		0.690		
	272		1.070		
	285		0.400		
	286		1.180		
	287		0.480		
	242		0.200		
	243		0.300		
	244		0.220		
	321		0.740		
	314		0.160		
	485		2.370		
	268		2.570		
	270		1.540		
	271		0.380		
	301		1.340		
	329		0.050		
	331		0.840		
	307		0.230		
	492/2		0.250		
	493/2		0.900		
	494		0.900		
	492/1		0.010		
	495		0.200		
	320		0.740		
	कुल योग . .		<u>46.390</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं	(1)	(2)	
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	699	0.35	
राजस्व विभाग	705	0.34	
पन्ना, दिनांक 3 मई 2011	1006	0.18	
	621	0.04	
प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	640	0.20	
अनुसूची	646	0.10	
(1) भूमि का वर्णन—	622/1	0.37	
(क) जिला—पन्ना	624	0.06	
(ख) तहसील—शाहनगर	649	0.11	
(ग) ग्राम—ताला	622/2	0.30	
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 27.21 हेक्टेयर	629	0.04	
खसरा नम्बर	630	0.04	
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	631	0.07	
(1)	(2)		
575	0.01	632	0.07
762	0.03	639	0.05
931	0.08	641	0.06
932	0.06	642	0.04
459/1	0.02	643	0.02
579	0.09	644	0.04
655	0.06	645	0.05
727/1	1.09	622/3	0.33
728/1	0.98	625	0.02
752	0.02	626	0.04
761/1	0.09	627	0.06
582	0.30	628	0.03
618	0.01	648	0.10
619	0.07	633	0.10
698	0.08	635	0.10
700/1	0.25	637	0.06
704	0.16	638	0.05
1005	0.13	647	0.13
620	0.16	664	0.02
		665	0.04
		667	0.02
		650	0.06
		651	0.073
		653	0.48
		675	0.03
		676	0.11
		677	0.08

(1)	(2)	(1)	(2)
910	0.27	927	0.16
914	0.16	933	0.06
652	0.33	937	0.06
659	0.34	938	0.11
656	0.30	941	0.05
911	0.28	944	0.02
915	0.15	957	0.51
658	0.05	738	0.31
659	0.12	741	0.32
660	0.07	740/1	0.05
661	0.03	745	0.11
662	0.05	754	0.47
678	0.12	755	0.31
690/1	0.05	756	0.57
726/2	0.51	773	0.59
757	0.08	908	0.01
758/2	0.20	909	0.60
697	0.37	760	0.23
700/2	0.24	769	0.21
702/1	0.05	770	0.16
706	0.15	939	0.07
707	0.13	940	0.08
725	0.01	763	0.18
726/1	0.48	923	0.09
728/2	0.63	925	0.06
759	0.09	926	0.04
761/2	0.08	934	0.06
726/3	0.53	935	0.07
727/2	0.37	766	0.03
758/1	0.23	767	0.02
732	0.12	768	0.18
742	0.08	771	0.15
743	0.19	772	0.20
747	0.71	907	0.17
749	0.67	936	0.17
750	0.23	916	0.09
751	0.16	917	0.11
1019	0.26	918	0.10
733	0.11	919	0.11
734	0.55	920	0.15
735	0.43	921	0.12
737	0.08	922	0.09
912	0.12	924	0.05
913	0.06	945	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
954	0.09	803	0.06
955	0.11	804	0.05
999	0.08	805	0.05
1000	0.07	1095	0.15
1004	0.14	1096	0.17
946	0.10	1097	0.06
948	0.08	640/6	0.40
949	0.09	641/2	0.70
कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>27.21</u>	641/3	0.40

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—ताला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 058-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		653	0.07
(क) जिला—पन्ना		656	0.04
(ख) तहसील—शाहनगर		658	0.58
(ग) ग्राम—चकरभटा		659	0.22
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 46.20 हेक्टेयर		647	0.05
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	648	0.60
(1)	(2)	650	0.30
640/4	0.25	664	0.52
644	0.27	665	0.65
640/5	1.08	651	0.10
759	0.18	655	0.04
761	0.30	676/2	0.20
766	0.07	657	0.10
767	0.13	1065	0.09
785	0.01	1066	0.05
798	0.30	1070	0.04
800	0.05	862	0.51
801	0.05	663	0.33
802	0.15	667	0.30
		710/2	0.20
		742	0.19
		668	0.17
		669	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
671	0.20	794	0.17
672	0.57	795	0.25
673	0.40	1103	0.02
670	0.30	1107	0.07
705	0.90	1110	0.13
708	0.10	1124	0.21
710/1	0.57	757	0.04
733	0.08	760	0.16
736	0.20	764	0.10
739	0.30	777	0.05
674	0.33	778	0.25
677	0.06	780	0.13
729	0.04	786	1.27
734	0.10	788	0.10
735	0.48	789	0.07
737	0.05	791	0.17
738	0.04	1098	0.51
740	0.15	758	0.15
741	0.20	762	0.09
743	0.15	763	0.02
744	0.12	769	0.02
747	0.09	776	0.09
707	0.10	781	0.05
709	0.07	1101	0.08
711	0.11	1102	0.20
712	0.04	770	0.10
725	0.07	773	0.20
727	0.04	783	0.78
991	0.13	796	0.30
993	0.02	797	0.30
728	0.07	799	0.04
745	0.05	808	0.66
746	0.40	809	0.79
752	0.40	811	0.10
771	0.08	812	0.07
772	0.05	813	0.50
748	0.10	814	0.10
754	0.07	818	0.20
996	0.11	819	0.92
755	0.36	1012	0.32
765	0.13	782	0.10
768	0.11	793/1	0.16
787	0.17	793/2	0.50
790	1.33	810	0.65

(1)	(2)	(1)	(2)
825	0.25	1093	0.02
831	0.49	1025	0.03
815	0.24	1026	0.03
816	0.13	1027	0.02
817	0.03	1067	0.09
820	0.12	1068	0.23
821	0.07	1069	0.14
823	0.07	1073	0.02
824	0.52	1076	0.05
826	0.02	1078	0.05
830	0.38	1079	0.11
1088	0.10	1080	0.05
1089	0.09	1081	0.31
1091	0.15	1082	0.21
1092	0.17	1083	0.18
822	0.22	1028	0.05
827	0.11	1077	0.15
828	0.06	1060	0.54
829	0.40	1061	0.20
995	0.05	1100	0.31
999	0.16	1104	0.05
1001	0.36	1105	0.08
1013	0.30	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>46.20</u>
1014	0.83		
1015	0.06	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—चक्रभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।	
1016	0.90		
1017	0.06		
1018	0.41	(3) भूमि का नङ्कशा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।	
1020	0.20		
1021	0.04		
1022	0.13		
1023	0.12	प्र. क्र. 063-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	
1024	0.14		
1029	0.02		
1030	0.04		
1031	0.04		
1032	0.01		
1033	0.19	अनुसूची	
1034	0.06		
1074	0.18		
1084	0.08	(1) भूमि का वर्णन—	
1085	0.03	(क) जिला—पन्ना	
1086	0.67	(ख) तहसील—शाहनगर	
1090	0.10		

(ग) ग्राम—अतरहाई	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 24.60 हेक्टेयर	1772	0.09
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकमा	1782/1
	(हेक्टेयर में)	1783/1
(1)	(2)	1773
1746	0.30	1784/1
1787	0.61	1804/2
1741/1	0.19	1805
1751	0.04	1806
1747/2	0.03	1811
1820	0.70	2100/1
1747/3	0.12	2104
1747/4	0.38	2105/2
1750	0.02	1784/2
1752	0.06	1792
1758	0.04	1804/1
1759	0.02	1812
1762	0.04	2100/2
1763	0.12	2101
1814	0.13	2102
1816	0.08	2103/2
1817	0.08	2105/1
1818	0.05	1785
1819	0.11	1786
1764	0.23	1789
1777	0.27	2109
1779	0.09	2110
1780	0.06	2111
1781	0.05	2116
1765	0.16	2120
1766	0.10	2121
1768	0.07	1788
1769/1	0.03	1802
1770	0.10	1790
1774	0.16	1791
1776	0.05	1793
1767	0.05	1795
1778	0.10	1801
1783/3	0.02	1796
1769/2	0.03	1823
1775	0.05	1824
1783/2	0.03	1825
1771	0.04	1798
1782/2	0.04	1800/3
1783/4	0.03	1799

(1)	(2)	(1)	(2)
1800/1	0.31	2114	0.11
1800/3	0.13	2126	0.50
1822	0.25	2127	0.02
1800/2	0.34	2128	0.22
1807	0.07	2139/3867	0.05
1808/1	0.05	2129	1.13
1808/2	0.05	2130	0.30
1809	0.33	2131	0.21
1813	0.09	2160	0.11
1810	0.35	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>24.60</u>
1895	0.30		
1815	0.12	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—अतरहाइ तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु,	
1821	0.30		
1827	0.17		
1896	0.53	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।	
1897	0.28		
1898	0.10		
1826	0.29	प्र. क्र. 112-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	
1828	0.28		
1829	0.04		
1891	0.37		
1830/2	0.05		
1830/3	0.16		
1892/1	0.31		
1892/2	0.17		अनुसूची
1899	0.17		
1900	0.20	(1) भूमि का वर्णन—	
1901	0.15	(क) जिला—पन्ना	
1902	0.15	(ख) तहसील—शाहनगर	
2015	0.15	(ग) ग्राम—ठेपा	
2096	0.25	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 21.63 हेक्टेयर	
2096	0.25		
2098	0.25	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा
2108	0.11		(हेक्टेयर में)
2099	0.22	(1)	(2)
2115	0.08	1100	0.09
2117	0.16	1103	0.06
2118	0.10	1101	0.65
2119	0.04	1104	0.15
2103/1	0.04	1102	0.23
2106	0.08	1128	0.20
2107	0.03	1147	0.09
2112	0.04	1150	0.10
2113	0.23	1151	0.13

(1)	(2)	(1)	(2)
1108	0.16	1165	0.04
1124	0.12	1166	0.12
1132	0.08	1167	0.13
2280	0.13	1168	0.06
2281	0.19	1169	0.04
2282	0.08	1176	0.09
2283	0.14	1177	0.17
2289	0.08	1155	0.10
2305	0.21	1156	0.06
2307	0.03	1157	0.03
2308	0.14	1158	0.11
1125	0.25	2166	0.01
1126	0.08	2224	0.98
1127	0.11	1170	0.08
1133	0.09	1171	0.06
2288	0.26	1172	0.15
2304	0.25	1173	0.13
2306	0.38	1175	0.03
1129	0.13	2209	0.54
1130	0.08	2230	0.14
1131	0.22	2231	0.07
1134	0.21	2236	0.08
1141	0.28	2237	0.12
1143	0.06	1178	0.04
1145	0.18	1221	0.03
1148	0.12	1222	0.07
1149	0.06	1223	0.05
1152	0.10	1224	0.06
1153	0.26	1225	0.05
1154	0.31	2164	0.18
1135	0.26	2163	0.05
1136	0.05	2215	0.11
1137	0.06	2216	0.09
1138	0.10	2257	0.10
1139	0.11	2218	0.10
1140	0.19	2219	0.09
1142	0.08	2220	0.10
1144	0.13	2221	0.09
1159	0.12	2285	0.42
1160	0.05	2180	0.13
1161	0.11	2195	0.02
1162	0.07	2181	0.04
1163	0.14	2182	0.04
1164	0.03	2208	0.34

(1)	(2)	(1)	(2)
2210	0.07	2274	0.06
2211	0.03	2266	0.16
2212	0.16	2286	0.15
2232	0.18	2290	0.09
2233	0.03	2309	0.82
2234	0.08	2310	0.05
2213	0.08	2311	0.20
2214	0.06	2313	0.15
2235	0.16	2318	0.14
2243	0.07	2312	0.02
2222	0.22	2215	0.19
2223	0.19	2248	0.26
2224	0.24	कुल रकबा निजी भूमि . .	<u>21.63</u>
2255	0.31	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—चक्रभटा तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।	
2277	0.55	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।	
2228	0.08		
2256	0.22		
2275	0.55		
2279	0.23		
2238	0.10		
2239	0.02		
2240	0.03	प्र. क्र. 077-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—	
2267	0.04		
2268	0.04		
2269	0.06		
2270	0.05		
2271	0.07		
2272	0.06		
2241	0.12		
2251	0.03	(1) भूमि का वर्णन—	
2252	0.05	(क) जिला—पन्ना	
2255	0.04	(ख) तहसील—गुनौर	
2257	0.20	(ग) ग्राम—नचनौरा	
2276	0.60	(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 1.50 हेक्टेयर	
2278	0.15		
2258	0.13	खसरा नम्बर	
2259	0.05		कुल अर्जित रकबा
2260	0.05		(हेक्टेयर में)
2261	0.14	(1)	(2)
2262	0.11	1609/2	0.01
2263	0.03	1615/2	0.05
2264	0.03	1615/1	0.08
2265	0.06	1614	0.10
2273	0.04	1584	0.06
		1583	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1271	0.04	1955	0.14
1272	0.06	2010	0.06
1291	0.07	1960	0.19
1290	0.01	1961	0.12
1292	0.06	1962	0.08
1264	0.05	1963	0.13
1265	0.05	1964	0.40
1255	0.10	1967	0.61
1260	0.16	1968	0.42
1261	0.10	1974	0.10
1294	0.12	1980	0.60
1295	0.14	1965	0.82
1266	0.08	1997	0.37
1101	0.11	1966	0.41
1099	0.02	1981	0.67
<b>कुल रकबा निजी भूमि ..</b>		1969	0.09
	<b>1.50</b>	1970	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—सिली तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।

पन्ना, दिनांक 23 मई 2011

प्र. क्र. 044-अ-82-वर्ष 2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—पन्ना		2083	0.16
(ख) तहसील—शाहनगर		2084	0.12
(ग) ग्राम—हरदुआ मेमारी		2085	0.16
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि— 19.90 हेक्टेयर		2091	0.09
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा	2092	0.04
	(हेक्टेयर में)	2095	0.30
(1)	(2)	1998	0.32
1925	0.02	1999	0.10
1953	0.03	2004	0.04
1954	0.06	2005	0.29
		2008	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
2009	0.10	2120	0.45
1914	0.16	2121	0.06
1915	0.08	2122	0.11
2016	0.26	2123	0.14
2017	0.44	2127	0.32
2020	0.40	2128	0.19
2021	0.09	2129	0.17
2222	0.08	2130	0.12
2023	0.09	2178	0.45
2024	0.12	2179	0.04
2029	0.13	2180	0.32
2025	0.08	2181	0.58
2026	0.06	2191	0.11
2027	0.03	2192	0.02
2028	0.04	2196	0.65
2079	0.32	2182	0.20
2086/1	0.09	2183	0.17
2087/1	0.06	2184	0.10
2090	0.10	2185	0.03
2093	0.10	2186	0.05
2094/1	0.06	2187	0.12
2096	0.07	2188	0.21
2098/1	0.02	2189	0.28
2099	0.06	2190	0.09
2102	0.06	2093	0.31
2103	0.13	2194	0.05
2104	0.05	2195	0.41
2105	0.05	2198	0.33
2124	0.05	2199	0.09
2086/2	0.01	कुल रकबा निजी भूमि . . 19.90	
2087/2	0.03	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—हरदुआ मेंमारी तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब एवं नहर निर्माण हेतु।	
2094/2	0.01	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है।	
2098/2	0.06	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,	
2097	0.06		
2100	0.04		
2101	0.04		
2118	0.08		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
सीधी, दिनांक 25 मई 2011	396	0.010	
प्र. क्र. 70-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	397 401 402 403 404 719 720 723/1 723/2 724 725/1 725/2 726 730 731 761 762 763 766 767 768 769 771 772 786 787 789 792 794 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 830 853 854 858	0.150 0.110 0.090 0.040 0.010 0.190 0.020 0.020 0.010 0.360 0.105 0.105 0.120 0.020 0.050 0.010 0.060 0.010 0.150 0.150 0.120 0.040 0.070 0.160 0.260 0.040 0.030 0.200 0.430 0.020 0.020 0.070 0.070 0.020 0.020 0.010 0.050 0.230 0.070 0.030 0.580	
अनुसूची			
(1) भूमि का विवरण—राजस्व	725/2	0.105	
(क) जिला—सीधी	726	0.120	
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	730	0.020	
(ग) नगर/ग्राम—चोरगढ़ी	731	0.050	
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 13.982 हेक्टेयर	761	0.010	
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	762	0.060
	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
224	0.080	763	0.010
225	0.030	766	0.150
226	0.060	767	0.150
227	0.270	768	0.150
339	0.050	769	0.120
335	0.080	771	0.040
336	0.060	772	0.070
337	0.100	786	0.160
342	0.170	787	0.260
343	0.030	789	0.040
344	0.120	792	0.030
356	0.080	794	0.200
357	0.500	815	0.430
358	0.030	816	0.020
361	0.060	817	0.020
362	0.010	818	0.010
363	0.030	819	0.070
364	0.050	820	0.070
365	0.080	821	0.020
377	0.010	822	0.020
378	0.010	823	0.010
379	0.240	824	0.050
		830	0.230
		853	0.070
		854	0.030
		858	0.580

(1)	(2)	(1)	(2)
859	0.010	972	0.090
860	0.030	973	0.080
861	0.050	974	0.010
862	0.940	1816	0.080
863	0.001	1817	0.120
864	0.001	1818	0.490
865	0.050	1819	0.382
866	0.028	1835	0.223
867	0.020	1836	0.130
868	0.260	1837	0.024
869	0.250	कुल योग . .	<u>13.982</u>
871	0.040	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा	
877	0.020	सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।	
928	0.050	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के	
929	0.030	कार्यालय में किया जा सकता है।	
930	0.140		
931	0.160		
932	0.050	प्र. क्र. 72-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का	
933	0.110	समाधान हो गया है, कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित	
934	0.050	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन	
935	0.040	के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक	
936/1	0.115	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
936/2	0.115	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—	
937	0.900		
938	0.050		
939	0.010		
941	0.030	(1) भूमि का विवरण—राजस्व	
943	0.016	(क) जिला—सीधी	
944	0.120	(ख) तहसील—चुरहट	
945	0.470	(ग) नगर/ग्राम—अमरपुर	
946	0.060	(घ) लगभग क्षेत्रफल— 1.291 हेक्टेयर	
940	0.100	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा
947	0.020		(हेक्टेयर में)
979	0.200	(1)	(2)
948	0.010		
961	0.150	27	0.005
962	0.240	28	0.001
963	0.215	29	0.008
964	0.060	30	0.301
965	0.002	31	0.016
968	0.010	37	0.047
969	0.260	38	0.089
970	0.010	41/1	
971	0.050	41/2	0.032
		41/3	

(1)	(2)	(1)	(2)
42	0.124	3421	0.109
43	0.229	3422	0.002
55	0.129	3423	0.031
56	0.114	3424	0.050
61	0.098	3425	0.262
53	0.098	2818	0.030
कुल रकबा . .	<u>1.291</u>	3441	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 74-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—पचोखर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल— 3.562 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(1)	(2)
3532	0.015	3555	0.061		
3227	0.048	3556	0.176		
3225	0.040	3557	0.006		
3226	0.064	3565	0.248		
3228	0.051	3566	0.223		
3229	0.094	3518	0.211		
3186	0.054	3514	0.040		
3231	0.002	3538	0.011		
3233	0.042	3515	0.076		
3238	0.090	3516	0.080		
3187	0.029	3517	0.048		
3185	0.123	3517	0.005		
3432	0.060	कुल योग . .	<u>3.562</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.	(1)	(2)
	541	0.049
	542	0.048
	कुल योग . .	2.663

प्र. क्र. 76-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—भेलकी पैपखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.663 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
446/1क	0.010
446/क	0.055
447	0.051
471	0.015
473	0.056
474	0.065
475	0.011
484	0.002
485	0.103
486	0.090
487	0.191
488	0.122
489	0.065
522	0.186
523	0.189
525/1	0.072
525/2	0.073
530	0.142
540	0.034
545	0.911
479	0.010
501/2	0.002
529	0.111

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 78-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—बड़ोखर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल— 7.073 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.118
10	0.030
12	0.171
13	0.201
14	0.008
17	0.038
27	0.003
28	0.001
29	0.035
30	0.290
31/1	0.060
31/2	0.060
31/3	0.031
33	0.044
34	0.060
35	0.088
36	0.055

(1)	(2)	(1)	(2)
37	0.046	377	0.053
38	0.096	275	0.171
39	0.180	276	0.006
40	0.003	312	0.003
41	0.064	322	0.004
42	0.062	334	0.061
43	0.230	371	0.092
44	0.008	355	0.091
45	0.196	364	0.021
280	0.052	337	0.027
281	0.112	328	0.009
282	0.325	कुल योग . .	
283	0.066	<u>7.073</u>	
284	0.092	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-	
286	0.008	सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।	
306	0.045	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के	
307	0.047	कार्यालय में किया जा सकता है।	
310	0.100	प्र. क्र. 80-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—	
311	0.029	अनुसूची	
318	0.047	(1) भूमि का विवरण—राजस्व	
319	0.060	(क) जिला—सीधी	
323	0.430	(ख) तहसील—चुरहट	
325	0.024	(ग) नगर/ग्राम—पतेरी	
332	0.159	(घ) लगभग क्षेत्रफल— 1.847 हेक्टेयर।	
333	0.112	खसरा नम्बर	
335	0.095	अर्जित रकबा	
337	0.061	(हेक्टेयर में)	
342	0.120	(1)	
349	0.467	201	
351	0.139	202	
352	0.093	203/1, 203/2	
353	0.068	231	
354	0.187	234	
358	0.137	235	
360	0.077	236	
361	0.110	238	
361	0.007	239	
362	0.038	(2)	
363	0.104	0.379	
367	0.152	0.179	
368	0.083	0.288	
369	0.147	0.006	
372	0.273	0.001	
375	0.291	0.031	
		0.005	
		0.027	
		0.001	

(1)	(2)	(1)	(2)
240	0.030	602	0.028
241	0.018	403	0.017
242	0.040	404	0.090
243	0.040	406	0.010
244	0.030	407	0.080
245	0.050	408	0.090
246	0.050	409	0.050
247	0.020	412	0.040
248	0.060	614	0.002
249	0.276	413	0.030
250	0.132	414	0.060
251	0.013	415	0.080
254	0.008	416	0.050
280	0.001	417	0.110
281	0.010	418	0.120
282	0.016	419	0.162
283	0.048	420	0.068
284	0.077	421	0.071
285	0.002	423	0.006
कुल योग . .		427/1, 427/2	0.003
	<u>1.847</u>	428	0.011
		430	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व  
 (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—चुरहट  
 (ग) नगर/ग्राम—रामनगर  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल--- 7.481 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
600	0.050	555	0.030
601	0.058	556	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
557	0.090	848	0.100
558	0.040	849	0.050
559	0.040	850	0.070
560	0.040	851	0.070
561	0.040	852	0.070
562	0.040	853	0.070
563	0.040	854	0.070
564	0.060	855	0.060
565/1, 565/2, 565/3	0.130	856	0.070
566	0.040	857	0.070
567	0.030	858	0.190
568	0.040	859	0.050
569	0.150	860	0.080
570	0.120	861	0.106
571	0.130	862	0.040
574	0.130	863	0.028
577	0.110	864	0.084
578/1, 578/2	0.140	866	0.006
579	0.080	867	0.048
580	0.030	868	0.039
581	0.048	835	0.060
582	0.030	836	0.020
583	0.080	429	0.007
584	0.060	432	0.126
585	0.039	572	0.030
586	0.100	573	0.030
587	0.090	575	0.040
588	0.070	576	0.050
589	0.250	791	0.120
590	0.020	792	0.022
591	0.110	793	0.010
592	0.037	794	0.010
593	0.012	788	0.003
595	0.014	802	0.001
596	0.059	803	0.037
597	0.060	804	0.030
598	0.020	805	0.004
599	0.020	806	0.005
837	0.040	577/2164	0.060
838	0.040	575/2165	0.050
839	0.029	कुल योग . .	
833	0.001	7.481	
834	0.060	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रोवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।	
843	0.006	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।	
846	0.050		
847	0.050		

प्र. क्र. 84-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—सांडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 3.624 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

30

0.080

31

0.02

32

0.010

33

0.038

35

0.177

36

0.226

37

0.183

38

0.029

41

0.053

44

0.032

51

0.024

52

0.032

53

0.005

54

0.038

55

0.04

56

0.019

57

0.054

63/1, 63/2, 63/4

0.048

64

0.461

65

0.038

66

0.005

67

0.020

69

0.115

70/1, 70/2

0.020

72

0.170

73

0.054

74

0.196

76

0.190

77

0.065

(1)

(2)

79

0.101

80

0.053

141

0.002

142

0.019

143

0.045

144

0.014

145

0.007

146

0.06

147

0.030

148

0.030

149

0.042

150

0.052

151

0.008

160

0.007

161

0.280

162

0.032

163

0.016

45

0.001

68

0.006

78/1, 78/2

0.002

140

0.001

259

0.266

271

0.108

कुल योग . .

3.624

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 86-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-737	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 0.164 हेक्टेयर.	1392	0.036
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	1394
	(हेक्टेयर में)	1401/1, 1410/2
(1)	(2)	1416
80	0.105	1417
81	0.059	1413
कुल योग . .	<u>0.164</u>	1565/1, 1565/2, 1565/3
		1566
		1567
		1568
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.	1569/1, 1569/2, 1569/3	0.391
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.	1962	0.078
	1963	0.068
	1966	0.150
	1159/2271	0.027

प्र. क्र. 88-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक है :—

### ग्राम—डाडीया 2

अनुसूची		
(1) भूमि का विवरण—राजस्व	1850	0.011
(क) जिला—सीधी	1724	0.123
(ख) तहसील—चुरहट	1745	0.112
(ग) नगर/ग्राम—डाडीया 1, डाडीया 2	1746	0.064
(घ) लगभग क्षेत्रफल— 4.631 हेक्टेयर.	1749	0.017
खसरा नम्बर	1754	0.140
	1752	0.06
	1753	0.048
	1755/1, 1755/2	0.165
	1756	0.042
	1757	0.004
	1758	0.406
खसरा नम्बर	1751	0.151
	1768	0.002
(1)	(2)	1847
		1848
		1849
		1767
		कुल योग . .
		<u>4.631</u>

### ग्राम—डाडीया-1

1317	0.05	
1357	0.332	
1358	0.018	
1967	0.170	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
1964	0.105	
1965	0.092	
1359	0.04	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
1360	0.057	
1391	0.186	

प्र. क्र. 90-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—पड़खुड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल— 2.402 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

3441	0.050
3449	0.096
3338	0.250
3340	0.008
3342	0.036
3343	0.020
3344	0.213
3345	0.076
3346	0.006
3347	0.008
3348	0.003
3349	0.009
3356	0.014
3360	0.003
3361	0.028
3362	0.125
3363	0.037
3364	0.014
3365	0.008
3366	0.039
3367	0.032
3368	0.051
3369	0.001
3501	0.16
3372	0.028
3373	0.134
3374	0.208
3375	0.286

(1)	(2)
3432	0.107
3433	0.118
3434	0.020
3435	0.030
3436	0.045
3438	0.070
3439	0.058
3440	0.011

कुल योग . . 2.402

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 92-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—चुरहट
- (ग) नगर/ग्राम—हरिया पवई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.098 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
7	0.050
8	0.120
81	0.410
85	0.240
91	0.326
93/2	0.015
92	0.040
95	0.085
96	0.020
97	0.120
98	0.030

(1)	(2)	(1)	(2)
99	0.090	496	0.062
100	0.180	497	0.148
101	0.120	498	0.015
102	0.135	499	0.001
103	0.055	506/1	0.012
104	0.070	507	0.072
105	0.110	508	0.130
109	0.310	512	0.047
110	0.090	514	0.094
86	0.122	513	0.038
88	0.025	515	0.032
89	0.040	516	0.128
90	0.070	518	0.004
111	0.190	524/1	0.037
113	0.020	525/1	0.034
114	0.018	526	0.008
115	0.001	528	0.104
116	0.037	529	0.001
138	0.444	533/2	0.004
10/1, 10/2, 10/3	0.650	534	0.078
कुल योग . .	<u>4.098</u>	536	0.004
		537/1	0.025

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 94-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व  
 (क) जिला—सीधी  
 (ख) तहसील—चुरहट  
 (ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-740  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.171 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर

अर्जित रकम  
 (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

466

0.009

538	0.027
539	0.019
541/1	0.014
552	0.129
555	0.003
556	0.057
557/1	0.014
558/1, 558/2	0.002
635	0.036
636	0.021
637	0.047
641	0.003
642	0.062
644/1	0.002
644/2	0.001
646	0.102
647	0.097
755	1.287

757	0.016
791	0.001
792	0.001
793	0.053

(1)	(2)	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.565 हेक्टेयर.	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
			(1)	(2)
794	0.069			
795	0.019		218	0.296
796	0.109		364	0.086
797	0.027		372	0.116
799	0.052		373	0.048
800	0.283		374	0.026
803	0.001		376	0.034
804	0.067		377	0.488
840	0.55		383	0.051
845	0.001		384	1.225
846	0.067		387	0.005
847	0.250		388	0.483
851	0.013		390	0.022
852	0.019		391	0.282
848	0.048		392	0.072
802	0.028		393	0.328
1229	0.055		385	0.003
845/1492	0.051			
1499	0.067			
1500	0.098			कुल योग . . . 3.565
1501	0.039			
1502	0.006			
646/1497	0.159			
		कुल योग . . . 5.171		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 96-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व
- (क) जिला—सीधी
  - (ख) तहसील—चुरहट
  - (ग) नगर/ग्राम—बड़खड़ा-735

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 98-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण—राजस्व
- (क) जिला—सीधी
  - (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
  - (ग) नगर/ग्राम—गोड़हा टोला
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.280 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.120
10	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
11	0.020	448/1671	0.081
11/491	0.050	276/1560	0.040
12	0.200	448/1672	0.036
28	0.070	279	0.008
29	0.970	291	0.015
30	0.210	306	0.019
31	0.390	345/1605	0.003
34/1	0.240	308	0.001
34/2	0.240	309	0.015
271	0.400	310	0.028
273	0.310	311	0.174
274	0.020	313	0.009
<b>कुल योग . .</b>		<b>3.280</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 100-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन			
(क) जिला—सीधी		347/1ख, 347/2	0.108
(ख) तहसील—चुरहट		348	0.290
(ग) नगर/ग्राम—नक्बेल		349	0.074
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.583 हेक्टेयर.		350	0.057
खसरा नम्बर	अर्जित रकमा		
	(हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	349/1612	0.017
448/1670	0.049	352	0.061
345/1604	0.006	443/1665	0.024
265	0.052	351	0.024
266	0.009	460/1, 460/2	0.060
267	0.062	274/1558	0.130
268	0.035	351/1610	0.018
269	0.093	274/1557	0.003
		431	0.104
		448/1674	0.040

(1)	(2)	(1)	(2)
429	0.174	457/1685	0.085
430	0.142	270/1548	0.032
442	0.032	312	0.012
443/1, 443/2	0.044	353	0.020
444	0.033	303	0.012
445	0.053	304	0.024
448	0.116	305	0.028
449/1	0.085	466	0.142
474/1691	0.040	270/1552	0.003
259	0.089	276	0.014
260	0.001	345	0.166
451	0.025	341/1595	0.004
452	0.032	335/1589	0.061
457/1683	0.053	341/1596	0.024
454	0.066	474	0.053
455/1, 455/2, 455/3	0.120	471	0.057
456/1, 456/2	0.070	472	0.045
457	0.075	446	0.040
458	0.088	450/1, 450/2	0.264
259	0.074	341/1594	0.028
460/1686/1, 460/1686/2	0.126	432/1, 432/2	0.019
448/1668	0.045	79	0.198
273	0.003	335/1592	0.001
293	0.001	329	0.008
464/1, 464/2	0.070	69/1, 69/2	0.105
465	0.077	430/1676	0.081
480	0.020	73	0.047
481	0.028	78	0.202
274/1559/1/1		80	0.069
274/1559/1/2		81	0.113
274/1559/1/3	0.156	82	0.049
274/1559/2		84	0.049
274/1559/1/4		86/1, 86/2	0.064
463/1, 463/2	0.011	88	0.077
470	0.073	274	0.243
448/1675/1, 448/1675/2	0.048	433	0.001
352	0.061	447	0.053
315	0.001	269/1547	0.039
475	0.053	335/1590	0.017
77	0.036	335/1591	0.010
476	0.040	87	0.069
329/1597	0.003	कुल योग . . .	
450/1682/1, 450/1682/2	0.024	8.583	
465/1689	0.057		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 102-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व	516	0.173
(क) जिला—सीधी	517	0.180
(ख) तहसील—चुरहट	521	0.180
(ग) नगर/ग्राम—छमहौनिया कलां	522	0.007
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.805 हेक्टेयर.	कुल योग . .	2.805

खसरा नम्बर अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1) (2)

14 0.007

15 0.169

524 0.060

19 0.068

20 0.083

25 0.001

26 0.002

29/1, 29/2 0.034

30 0.141

39/1, 39/2 0.340

13 0.050

41 0.093

42 0.092

43 0.020

44 0.079

45 0.010

46 0.016

523 0.020

468 0.125

407 0.138

408 0.081

410 0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 104-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—राजस्व

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) नगर/ग्राम—हर्दिआ कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.171 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

179/1, 179/2

0.032

138

0.020

(1)	(2)	लिए आवश्यक हैं। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक हैं :—
139	0.064	
140	0.004	
251/1, 251/2	0.004	अनुसूची
255/1, 255/2	0.028	
152/1, 152/2	0.029	
153	0.030	(1) भूमि का विवरण—राजस्व
154	0.044	(क) जिला—सीधी
155	0.103	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
156	0.042	(ग) नगर/ग्राम—बघवार
157	0.005	(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.179 हेक्टेयर.
158	0.026	खसरा नम्बर
162	0.002	अर्जित रकमा (हेक्टेयर में)
163	0.035	(1) (2)
164	0.068	34 0.090
165	0.030	37/1 0.420
166	0.022	37/2 0.440
167	0.020	38/1 0.030
168	0.040	39/1 0.190
169	0.037	58 0.260
170	0.010	59/1 0.010
171	0.003	59/2 0.010
176	0.001	76 0.040
177	0.003	77 0.030
254	0.001	78 0.230
180	0.022	88 0.160
181	0.022	89 0.280
242	0.051	90 0.030
247	0.004	91 0.040
248	0.048	97 0.045
249	0.217	99 0.600
250	0.021	194 0.010
257	0.070	195 0.050
256	0.013	196 0.010
कुल योग . .	<u>1.171</u>	197 0.020
		198 0.150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु,		414 0.020
		415 0.070
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।		418 0.030
		419/1 0.050
		419/2 0.055
प्र. क्र. 106-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अधिसूचना के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के		420/1 0.100
		420/2 0.200
		421 0.060
		422 0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
449/1	0.090	1308	0.380
450/1	0.030	1721	0.020
451/1	0.095	1727	0.040
451/2	0.095	1728	0.460
452/1	0.015	1729	0.040
452/2	0.015	1730	0.060
458	0.440	1731	0.690
459	0.110	1732	0.038
460	0.030	1733	0.411
484	0.110	1734	0.176
485	0.190	1769	0.035
486/1	0.074	1771	0.300
486/2	0.016	1772/1	0.236
487	0.090	1772/2	0.236
488	0.160	1773/1	0.348
516	0.050	1773/2	0.348
517	0.150	1775	0.040
518	0.250	1776	0.056
524	0.020	1777	0.060
525	0.130	1778	0.108
526	0.040	1779	0.051
528	0.020	1780	0.270
540	0.040	1781	0.030
541	0.010	1782	0.480
542	0.030	1783	0.001
543	0.080	1785	0.096
544	0.080	1786	0.026
545	0.030	1787	0.070
563	0.250	1788	0.040
564	0.230	1789	0.050
565	0.050	1790	0.115
569	0.030	1791	0.230
570	0.010	1792	0.080
572/1	0.140	1793	0.350
572/2	0.140	1794	0.040
39/2	0.010	1795	0.018
56	0.010	1799	0.220
57	0.010	कुल योग . .	
79	0.010	<u>14.179</u>	
92	0.010		
493	0.010	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सीवा-सीधी नई बड़ी रेल लाइन हेतु।	
515	0.010		
522	0.010	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।	
566/1	0.007		
1304	0.003		
1306	0.060		
1307	0.150		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

शिवपुरी, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-408.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—करैरा
- (ग) नगर/ग्राम—राजगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
143	0.12
योग . .	<u>0.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू-अर्जन-409.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
- (ख) तहसील—नरवर

- (ग) नगर/ग्राम—कोंडर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.20 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
679/2/1	0.10
681/1	0.09
681/3	0.01
योग . .	<u>0.20</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—सिंध परियोजना उकायला मुख्य नहर की डी-1 वितरिका शाखा की कोंडर मायनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बड़वानी, दिनांक 18 मई 2011

क्र.-881-भू-अर्जन-2011-कलै. का प्र. क्र.-2-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
  - (क) जिला—बड़वानी
  - (ख) तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—पॉचपुला उत्तर भाग-2	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—13437.03 (भूमि छोड़कर)	759/1 बैड़ी	1	46.37
खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	759/1 बैड़ी
(1)	(2)	(3)	751 बैड़ी
783/1 बैड़ी	1	64.29	751 बैड़ी
783/1 बैड़ी	1	33.94	751 बैड़ी
754 बैड़ी	1	59.55	751 बैड़ी
754 बैड़ी	1	26.65	759/1 बैड़ी
754 बैड़ी	1	58.42	759/1 बैड़ी
754 बैड़ी	1	25.22	759/1 बैड़ी
754 बैड़ी	1	14.28	759/1 बैड़ी
754 बैड़ी	1	212.10	759/1 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	42.60	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	16.64	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	53.32	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	33.97	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	49.34	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	74.64	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	25.56	234 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	61.74	310/1 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	8.32	310/1 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	77.74	310/1 बैड़ी
759/1 बैड़ी	1	22.79	310/1 बैड़ी
77/1 बैड़ी	1	50.88	310/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	70.22	310/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	102.42	313/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	27.00	313/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	11.61	121/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	61.71	121/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	33.88	121/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	27.00	121/1 बैड़ी
170/1/1 पहाड़	1	31.60	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	8.58	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	19.78	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	20.28	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	21.73	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	62.33	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	43.75	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	9.54	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	54.98	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	4.70	170/1/1 पहाड़
170/1/1 पहाड़	1	64.07	170/1/1 पहाड़
759/1 बैड़ी	1	55.08	170/1/1 पहाड़

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
170/1/1 પહાડું	1	53.95	553/1 બૈડી	1	55.85
254/1 બૈડી	1	56.21	558/1 પહાડું	1	32.76 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	51.87 ટાપુ	283 બૈડી		2065 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	24.92	283 બૈડી	1	20.65 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	40.56	283/1 બૈડી	1	43.31 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	56.07	283/1 બૈડી	1	46.26 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	94.44	283/1 બૈડી	1	26.46 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	87.41	283/1 બૈડી	1	65.02 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	63.13	283/1 બૈડી	1	46.05 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	57.47	283/1 બૈડી	1	45.16 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	29.64	283/1 બૈડી	1	35.57 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	40.80	283/1 બૈડી	1	28.05 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	41.28	283/1 બૈડી	1	48.62 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	127.94	283/1 બૈડી	1	31.08 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	29.31	283/1 બૈડી	1	55.40 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	25.50	283/1 બૈડી	1	49.17 ટાપુ
586/1 બૈડી	1	46.59	283/1 બૈડી	1	89.00 ટાપુ
616/1 બૈડી	1	95.53	283/1 બૈડી	1	28.50 ટાપુ
616/1 બૈડી	1	156.60	283/1 બૈડી	1	50.36 ટાપુ
616/1 બૈડી	1	31.60	283/1 બૈડી	1	61.30 ટાપુ
611/1 બૈડી	1	132.27	749 બૈડી	1	40.76
611/1 બૈડી	1	41.44	749 બૈડી	1	52.25
611/1 બૈડી	1	83.03	749 બૈડી	1	2.38
611/1 બૈડી	1	32.76	718 બૈડી	1	20.91
611/1 બૈડી	1	25.20	718 બૈડી	1	34.56
611/1 બૈડી	1	19.07	718 બૈડી	1	11.78
611/1 બૈડી	1	86.48	718 બૈડી	1	26.22
611/1 બૈડી	1	47.96	718 બૈડી	1	42.60
611/1 બૈડી	1	56.67	718 બૈડી	1	33.00
611/1 બૈડી	1	21.07	718 બૈડી	1	26.66
611/1 બૈડી	1	34.72	718 બૈડી	1	90.77
288/1 બૈડી	1	47.40	775/1 બૈડી	1	78.28
288/1 બૈડી	1	34.79	775/1 બૈડી	1	76.88
288/1 બૈડી	1	50.37	775/1 બૈડી	1	215.88
288/1 બૈડી	1	22.78	775/1 બૈડી	1	20.46
288/1 બૈડી	1	76.00	775/1 બૈડી	1	48.24
288/1 બૈડી	1	19.07	254/1 બૈડી	1	39.91
558/1 પહાડું	1	119.06	254/1 બૈડી	1	27.56
558/1 પહાડું	1	60.57	254/1 બૈડી	1	60.51
558/1 પહાડું	1	25.44	254/1 બૈડી	1	71.96
558/1 પહાડું	1	51.70	254/1 બૈડી	1	27.53
553/1 બૈડી	1	83.15	254/1 બૈડી	1	33.32
553/1 બૈડી	1	113.98	254/1 બૈડી	1	78.10
553/1 બૈડી	1	92.84	254/1 બૈડી	1	129.41

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
254/1 बैड़ी	1	143.19	583/1 बैड़ी	1	62.44
254/1 बैड़ी	1	176.80	583/1 बैड़ी	1	3.24
254/1 बैड़ी	1	16.56	283/1 बैड़ी	1	65.01 टापु
254/1 बैड़ी	1	138.83	283/1 बैड़ी	1	23.04 टापु
254/1 बैड़ी	1	63.53	583/1 बैड़ी	1	139.28 टापु
254/1 बैड़ी	1	110.29	775/1 बैड़ी	1	57.54
254/1 बैड़ी	1	78.36	753 बैड़ी	1	19.52
254/1 बैड़ी	1	57.20	753 बैड़ी	1	23.79
254/1 बैड़ी	1	38.86	753 बैड़ी	1	42.58
254/1 बैड़ी	1	60.60	170/1/1 पहाड़	1	21.93
611/1 बैड़ी	1	27.95	752 बैड़ी	1	24.84
611/1 बैड़ी	1	44.45	225 नाली	1	41.76
611/1 बैड़ी	1	24.38	225 नाली	1	20.70
611/1 बैड़ी	1	47.30	225 नाली	1	34.05
611/1 बैड़ी	1	20.25	225 नाली	1	53.00
611/1 बैड़ी	1	38.54	225 नाली	1	31.72
611/1 बैड़ी	1	17.20	225 नाली	1	57.13
611/1 बैड़ी	1	33.76	225 नाली	1	42.90
611/1 बैड़ी	1	20.75	225 नाली	1	57.13
611/1 बैड़ी	1	40.80	225 नाली	1	42.90
611/1 बैड़ी	1	48.91	170/1/1 पहाड़	1	72.44
611/1 बैड़ी	1	43.58	313/1 बैड़ी	1	66.42
254/1 बैड़ी	1	18.92	254/1 बैड़ी	1	39.65
254/1 बैड़ी	1	56.09	254/1 बैड़ी	1	53.22
254/1 बैड़ी	1	61.60	254/1 बैड़ी	1	72.44
715/1 बैड़ी	1	46.20	715/1 बैड़ी	1	27.95
715/1 बैड़ी	1	20.16	710/1 पहाड़	1	160.67
715/1 बैड़ी	1	146.56	710/1 पहाड़	1	108.52
715/1 बैड़ी	1	44.10	710/1 पहाड़	1	70.22
715/1 बैड़ी	1	12.70	710/1 पहाड़	1	91.97
715/1 बैड़ी	1	35.96	121/1 बैड़ी	1	72.44
715/1 बैड़ी	1	11.90	254/1 बैड़ी	1	45.85
715/1 बैड़ी	1	51.96	254/1 बैड़ी	1	53.82
715/1 बैड़ी	1	49.34	196 बैड़ी	1	20.15
715/1 बैड़ी	1	63.95	196 बैड़ी	1	57.41
583/1 बैड़ी	1	44.56	239 नाली	1	77.40
583/1 बैड़ी	1	37.97	योग मकान	251	13437.03
583/1 बैड़ी	1	34.16			
583/1 बैड़ी	1	18.81			
583/1 बैड़ी	1	49.29			
583/1 बैड़ी	1	29.07			
583/1 बैड़ी	1	28.03			
583/1 बैड़ी	1	114.30			
583/1 बैड़ी	1	23.68			
583/1 बैड़ी	1	67.68			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है।—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण।

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

क्र.-879-भू-अर्जन-2011-कले. प्र. क्र.-3-अ-82-2010-  
 2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है,  
 कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित  
 परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में से उल्लेखित सार्वजनिक  
 प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894  
 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह  
 घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की  
 उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

1. भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
  - (क) जिला—बड़वानी
  - (ख) तहसील—बड़वानी
  - (ग) ग्राम—पॉचपुला दक्षिण भाग-2
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—5127.41 (भूमि छोड़कर)

खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
191/1	बैड़ी	1	40.91			182/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	50.70			182/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	42.24			434/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	63.08			434/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	106.04			434/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	98.98			434/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	12.25			432/1	बैड़ी	1												
191/1	बैड़ी	1	148.35			432/1	बैड़ी	1												
172/1	बैड़ी	1	54.07			432/1	बैड़ी	1												
172/1	बैड़ी	1	28.50			432/1	बैड़ी	1												
172/1	बैड़ी	1	14.48			434/1	चरागाह	1												
172/1	बैड़ी	1	19.80			205/1	बैड़ी	1												
172/1	बैड़ी	1	16.56			451	बैड़ी	1												
172/1	बैड़ी	1	19.25			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	42.40			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	15.60			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	36.96			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	50.00			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	41.87			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	24.99			678	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	77.00			766	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	35.00			675	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	32.31			457	बैड़ी	1												
173/1	प.ला.	1	31.85			432/1	बैड़ी	1												

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—बेदपुरी		
432/1 बैड़ी	1	47.82	(घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—762.50 (भूमि छोड़कर)		
432/1 बैड़ी	1	43.30	खसरा	मकानों की	मकानों का क्षेत्रफल
432/1 बैड़ी	1	8.99	नम्बर	संख्या	(वर्गमीटर में)
216 बैड़ी	1	94.71	(1)	(2)	(3)
439/1 बैड़ी	1	91.00	511/9 बैड़ी	1	34.68
439/1 बैड़ी	1	53.92	600/1 बैड़ी	1	22.05
439/1 बैड़ी	1	27.62	600/1 बैड़ी	1	28.42
439/1 बैड़ी	1	131.94	600/1 बैड़ी	1	41.12
439/1 बैड़ी	1	102.74	600/1 बैड़ी	1	69.88
439/1 बैड़ी	1	52.50	600/1 बैड़ी	1	79.22
432/1 बैड़ी	1	105.84	600/1 बैड़ी	1	42.40
432/1 बैड़ी	1	25.20	600/1 बैड़ी	1	31.86
432/1 बैड़ी	1	39.69	600/1 बैड़ी	1	26.91
432/1 बैड़ी	1	140.90	600/1 बैड़ी	1	127.33
432/1 बैड़ी	1	40.00	600/1 बैड़ी	1	42.21
432/1 बैड़ी	1	127.92	600/1 बैड़ी	1	60.30
432/1 बैड़ी	1	45.26	600/1 बैड़ी	1	13.60
432/1 बैड़ी	1	72.25	637 बैड़ी	1	109.14
173/1 बैड़ी	1	18.13	600/1 बैड़ी	1	33.38
182/1 बैड़ी	1	72.44	योग . . . 15	762.50	
योग . . .	89	5127.41			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण।

**नोट।**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

क्र.-880-भू-अर्जन-2011-कलेक्टर प्र. क्र.-4-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
  - जिला—बड़वानी
  - तहसील—बड़वानी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण।

**नोट।**—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

क्र.-878-भू-अर्जन-2011-कले. प्र. क्र.-5-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

- भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण—(शासकीय भूमि में)
  - जिला—बड़वानी
  - तहसील—बड़वानी

(ग) ग्राम—भण्डारदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)—6623.01 (भूमि छोड़कर)

खसरा नम्बर	मकानों की संख्या	मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	381/1/1 बैड़ी	1	90.16
392/1	बैड़ी	1	22.50	381/1/1 बैड़ी	1
392/1	बैड़ी	1	30.24	381/1/1 बैड़ी	1
392/1	बैड़ी	1	66.00	381/1/1 बैड़ी	1
392/1	बैड़ी	1	95.40	381/1/1 बैड़ी	1
392/1	बैड़ी	1	107.44	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	64.98	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	31.36	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	57.43	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	79.68	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	71.64	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	62.64	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	41.52	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	53.56	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	60.07	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	32.56	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	92.53	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	62.20	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	44.29	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	73.69	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	57.70	381/1/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	33.00	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	44.64	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	105.13	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	46.40	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	46.00	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	63.75	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	95.82	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	60.36	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	39.44	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	73.12	10/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	73.82	372/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	47.30	372/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	43.14	372/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	123.32	372/1 बैड़ी	1
381/1/1	बैड़ी	1	46.56	17/1/1 पहाड़	1
381/1/1	बैड़ी	1	64.60	17/1/1 पहाड़	1
381/1/1	बैड़ी	1	125.34	17/1/1 पहाड़	1
381/1/1	बैड़ी	1	27.45	17/1/1 पहाड़	1
381/1/1	बैड़ी	1	120.52	17/1/1 पहाड़	1
381/1/1	बैड़ी	1	136.34	2/1 चरागाह	1

(1)	(2)	(3)
2/1 चरागाह	1	59.43
31/3 बैड़ी	1	106.49
31/3 बैड़ी	1	64.30
2/1 चरागाह	1	8.12
31/1 बैड़ी	1	55.80
31/1 बैड़ी	1	33.64
31/3 बैड़ी	1	42.93
3/3 बैड़ी	1	50.11
3/3 बैड़ी	1	78.52
3/3 बैड़ी	1	62.05
3/3 बैड़ी	1	24.75
3/3 बैड़ी	1	48.80
17/1 पहाड़	1	56.55
17/1 पहाड़	1	102.00
17/1 पहाड़	1	62.11
17/1 पहाड़	1	104.59
17/1 पहाड़	1	170.78
17/1 पहाड़	1	32.94
योग .	102	6623.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी, बांध निर्माण से प्रभावित होने के कारण।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी शहीद भीमा नायक सागर (लोअरगोई) परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।  
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
कटनी दिनांक 23 मई 2011

क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई, अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—कटनी
- (ख) तहसील—रीठी

(ग) ग्राम—बड़गांव	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टर	
खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
3325	0.15
3336	0.13
4125	0.35
4072/22क	0.13
4072/15क	0.04
कुल अर्जित रकवा :	<u>0.80</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बड़गांव सलैया मार्ग में बोरीना नाला पर पुल निर्माण हेतु अंतर्गत।

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कटनी कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मई 2011

क्र.-1661-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. -19-अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) ग्राम—मोर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.52 हेक्टर।

### निजी भूमि

सर्वे	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
852/2	0.14
857	0.06

(1)	(2)	(ग) ग्राम—खाखरापाड़ा (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.41 हेक्टर. निजी भूमि
858	0.06	
902	0.20	
903	0.02	सर्वे नम्बर
904	0.08	(1) (2) (हेक्टर में)
906	0.05	124/1
907	0.26	126
910/1	0.01	127
910/2	0.02	128
908	0.20	129/1
909	0.11	129/2
1320	0.03	131
1322/1	0.03	132
1322/2	0.03	133
1322/3	0.03	134
1322/4	0.03	135
1322/5	0.03	136
1323	0.11	137
1362	0.01	138
1363	0.16	139
1364/2	0.14	171
1378	0.42	173
1370	0.19	166
1383	0.11	164
910/3	0.01	165
योग . .	<u>2.52</u>	158
		159
		233/444
		205
		403
		410
		399/11
		399/2
		399/3
		399/4
		399/5

झाबुआ, दिनांक 1 जून 2011

क्र.-1754-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. -18-अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद

योग . . 1.41

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
खण्डवा, दिनांक 25 मई 2011**

नस्ती-क्र.-170-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 38-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बेनीपुरा एवं केलवा की अतिरिक्त सबमाईंनर के निर्माण हेतु ग्राम अटूटखुर्द (बेनीपुरा), तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को राज एक्सप्रेस में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010	188/2	0.18
चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010	188/2	0.18
आम इश्तहार में दिनांक 08-07-2010	188/2	0.18
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 0.41 है। यथावत रहेगा।		

नस्ती-क्रमांक-171-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 39-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईंनर के निर्माण हेतु ग्राम फिफराड़ तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को नवभारत में दिनांक 19 जुलाई 2010 चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010	222	0.17
नवभारत में दिनांक 19-07-2010	222	0.17
चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010	222	0.17
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.24 है। यथावत रहेगा।		

नस्ती-क्रमांक-161-2010-एल.ए.-भू-अ. प्र. क्र. 40-अ-82-09-10-शुद्धिपत्र.—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवा वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईंनर के निर्माण हेतु ग्राम बिहारीपुरा खुर्द, तहसील पुनासा, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40-अ-82-09-10 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 जुलाई 2010 को चौथा संसार में दिनांक 19 जुलाई 2010 एवं आम इश्तहार दिनांक 8 जुलाई 2010 को हुआ है। उक्त उद्घोषणा में निमानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16-07-2010	—	47/3 0.07
चौथा संसार में दिनांक 19-07-2010	—	47/3 0.07
आम इश्तहार में दिनांक 8-7-2010	—	47/3 0.07
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 2.23 है। यथावत रहेगा।		

नस्ती क्र.-219-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-51-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा
- (ग) ग्राम—मोहना
- (घ) अर्जित रकबा—3.69 हेक्टर.

खसरा	अर्जित
क्रमांक	रकबा
	(हेक्टर में)

(1)	(2)		
4	0.12	297/2	0.06
5/1	0.05	297/3	0.04
9/1	0.07	298	0.14
9/2	0.07	304/3	0.01
9/3	0.07	304/6	0.08
11/1	0.36	306/3	0.12
11/2	0.06	00	00
11/3	0.16	00	00
43	0.07	कुल योग . .	<u>3.69</u>

46 0.01 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत केलवां वितरण शाखा की प्रस्तावित सबमाईनर के विस्तार हेतु।

51 0.04  
52 0.07  
55/1 0.02 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

55/2 0.07  
56 0.10  
57/1 0.19  
57/2 0.07  
162 0.01  
163 0.10  
164 0.03  
नस्ती क्रमांक-212-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-52-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा	खसरा	अर्जित
(ख) तहसील—पुनासा	क्रमांक	रकबा
(ग) ग्राम—नवलगांव रै.		(हेक्टर में)
(घ) अर्जित रकबा—0.82 हेक्टर.		
खसरा	(1)	(2)
क्रमांक	282/1	0.03
	283/1	0.07
	283/2	0.07
खसरा	285	0.17
क्रमांक	299/1	0.06
	299/2	0.07
(1)	300	0.15
68	0.06	
70	0.14	
71	0.12	
72/1	0.05	
72/2	0.02	
75		
276/2	0.21	
	योग .	<u>0.82</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत गोराड़िया वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-211-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-53-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा

- (ग) ग्राम—नांदखेड़ा माफी
- (घ) अर्जित रकबा—0.92 हेक्टर.

खसरा	अर्जित
क्रमांक	रकबा
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
68	0.22
70	0.06
71	0.14
72/1	0.12
72/2	0.05
75	0.02
276/2	0.21
	योग .
	<u>0.82</u>
खसरा	कुल योग .
क्रमांक	<u>0.92</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है।

नस्ती क्र.-210-2010 एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-54-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा

- (ग) ग्राम—कालियाखेड़ी  
 (घ) अर्जित रकबा—1.12 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.23
14/1	0.12
14/2	0.13
41	0.12
42	0.10
22	0.05
23	0.08
24/2	0.16
38	0.04
40	0.09
योग . .	<u>1.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत बीजापुर वितरण शाखा की अतिरिक्त सबमाईनर हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—रीवा	
(ख) तहसील—त्योंथर	
(ग) नगर/ग्राम—त्योंथर खास	
(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.563 हेक्टेयर.	
खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/1 में से	0.204
19/2 में से	0.359
योग :	<u>0.563</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्धवहन सिंचाई योजना के स्विचयार्ड” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं  
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
 धार, दिनांक 30 मई 2011

क्र. 5894-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—धार
(ख) तहसील—सरदारपुर

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2011

पत्र क्र. 890-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(ग) ग्राम—लेडगांव  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.843 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
299	0.843
	योग : <u>0.843</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दोलतपुरा तालाब योजना में डूब से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदारपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)	(2)
609/2	जुज 0.01
609/3	जुज 0.19
609/4	जुज 0.19
610/1	जुज 0.09
610/2	जुज 0.57
610/3	जुज 0.57
611	जुज 1.85
734/2	जुज 0.20
	योग . . 4.91

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली (बैंडन), जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 835-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिंगरौली
- (ख) तहसील—सिंगरौली
- (ग) पटवारी हल्का नं.—चाचर नं. 48
- (घ) ग्राम का नाम—परसदेही
- (ङ) लगभग क्षेत्रफल—4.91 हेक्टर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
546	जुज 0.08
548	जुज 0.81
609/1	जुज 0.35

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
381	जुज 1.20
391	जुज 0.10
392/1	जुज 0.24
392/2	जुज 0.09
392/3	जुज 0.08
392/4	जुज 0.09
393	जुज 0.74
395	जुज 0.42

(1)	(2)	(घ) ग्राम का नाम—अमिलिया	(ङ) लगभग क्षेत्रफल—21.32 हेक्टर.
396	जुज 0.55	खसरा	रकबा
399	जुज 0.12	नम्बर	(हेक्टर में)
400	जुज 1.90	(1)	(2)
401/1	जुज 2.22	136/1क	जुज 0.02
401/2	जुज 0.15	137/1	जुज 0.24
402	जुज 1.35	137/2	जुज 0.11
403	जुज 1.22	137/3	जुज 0.01
404	जुज 1.70	138	जुज 0.01
405	जुज 0.25	141/1	जुज 0.03
406	जुज 0.57	141/2	जुज 0.02
407/1	जुज 1.19	141/3	जुज 0.01
407/2	जुज 0.08	142	जुज 0.01
409	जुज 1.76	303	जुज 0.01
412/2	जुज 0.40	307	0.08
444/1	जुज 1.00	308	जुज 0.02
444/2	जुज 1.05	309	0.11
444/4	जुज 1.00	310/1	0.13
444/5	जुज 0.80	310/2	0.14
446	जुज 0.04	310/3	0.13
448	जुज 0.16	310/4	0.02
450	जुज 0.02	311/1	0.21
451	जुज 0.10	311/2	0.09
	योग . . 20.59	311/3	0.22
		311/4	0.14
		312/1	0.02
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पावरग्रिड के 765/400 के. वी. उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के अर्जन बाबत्.	312/2	0.01
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली (बैठन), जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	313/1/1	0.03
		313/1/2	0.02
		313/2	0.05
		314/1/1	0.01
		314/1/2	0.02
		314/2	0.03
		315/1/1	0.03
		315/1/2	0.03
		315/1/3	0.03
		315/2	0.09
		316/1	0.03
		316/2	0.03
		317/1/1	0.02
		317/1/2	0.02
		317/2	0.04
		318/1	0.06

सिंगरौली, दिनांक 2 जून 2011

प्र. क्र. 11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिंगरौली
  - (ख) तहसील—सिंगरौली
  - (ग) प. ह. नं.—अमिलिया नं. 4

(1)	(2)	(1)	(2)
318/2	0.07	363/1	0.12
320/1/1	जुज 0.01	363/2/1	0.05
320/1/2	जुज 0.01	363/2/2	0.05
320/1/3	जुज 0.03	363/2/3	0.05
320/2	जुज 0.06	363/3	0.13
321/1	0.04	364/1	0.14
321/2	0.03	364/2	0.14
322/1	0.03	364/3	0.09
322/2	0.04	364/4	0.11
323/1/1	0.11	364/5	0.06
323/1/2	0.01	364/6	0.06
323/2	जुज 0.01	365/1	0.08
324/2	0.09	365/2/1	0.04
342/1	0.03	365/2/2	0.04
342/2	जुज 0.02	365/3	0.07
343	जुज 0.05	366/1	0.05
344	जुज 0.05	366/2	0.06
345	0.1	366/3	0.05
346/2	जुज 0.25	366/4	0.05
347	जुज 0.25	367	0.42
348/1	0.26	368	0.04
348/2	0.3	369/1	0.01
348/3	0.3	369/2	0.01
349	0.65	369/3	0.01
352/1	0.03	370	0.03
352/3	0.03	371	0.29
352/4	0.04	372	0.02
352/5	0.1	373/1	0.02
352/1ख	0.2	373/2	0.03
352/2	0.1	373/3	0.04
354	जुज 0.58	374/1	0.03
356	0.34	374/1/3	0.04
357/1/1	0.02	374/1/2	0.03
357/1/2	0.03	374/1/4	0.04
357/2	0.04	374/2/1	0.05
358/1	0.03	374/2/2	0.04
358/2	0.01	374/2/3	0.05
359/1	0.04	374/3	0.29
359/2	0.03	376/1	0.08
360	0.04	376/2	0.09
361	0.1	376/3	0.08
362	0.08	376/4	0.08
		377/1क	0.02
		377/3	0.1

(1)	(2)	(1)	(2)
377/1घ	0.08	511	जुज 0.01
377/1ख	0.1	512/1	0.1
377/1ग	0.2	512/2	0.04
377/2	0.25	512/2/3	0.03
378/1	0.3	512/2/2	0.03
378/2	0.3	512/3	0.1
378/3	0.2	513	0.3
378/4	0.1	514	जुज 0.02
380	0.14	515	0.06
381/1	0.02	516/1	0.07
381/2	0.06	516/2	0.08
382/1	0.04	516/3	0.07
382/2	0.04	516/4	0.08
383	0.06	516/5	0.07
384	0.16	517	0.38
385	0.11	518	1.16
386	0.04	519/1	0.08
387/1	0.07	519/2	0.08
387/2	0.06	520	0.13
388	जुज 0.17	521	0.58
400	जुज 0.02	522/1	0.31
401	जुज 0.02	522/2	0.1
402	0.05	522/4	0.1
403/1	जुज 0.06	522/5	0.1
403/2	जुज 0.04	522/3	0.31
498	जुज 0.08	523/1	0.02
499/1	जुज 0.01	523/2	0.03
500/4	जुज 0.09	524/1	0.07
501/1	जुज 0.04	524/2	0.55
502/1ख	जुज 0.02	528/1	जुज 0.03
503/1	0.23	528/2	जुज 0.02
503/2	0.07	529	जुज 0.1
504	0.07	530	जुज 0.15
505/1	0.05	531	जुज 0.05
505/2	0.1	532/1क	जुज 0.04
505/3	0.1	532/1ख	जुज 0.02
505/4	0.05	532/2	जुज 0.02
506/1	जुज 0.02	574	जुज 0.08
507/1/1	जुज 0.02	576	जुज 0.02
507/1/2	जुज 0.01	589	जुज 0.03
507/2	जुज 0.04	590	जुज 0.14
507/3	जुज 0.04	591/1	0.1
509/1	जुज 0.02	591/2	0.11
509/2	जुज 0.01	592/1	जुज 0.01

(1)	(2)	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सांदलपुर तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण) योजना के लिए आवश्यकता है:—		
592/2	जुज 0.01	अनुसूची		
609/1	जुज 0.02	(1) भूमि का वर्णन—		
610/1	जुज 0.03	(क) जिला—मंदसौर		
610/5	जुज 0.03	(ख) तहसील—भानपुरा		
610/2	0.01	(ग) ग्राम—सांदलपुर		
610/3	जुज 0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल— 22.846 हेक्टेयर.		
610/4	जुज 0.03			
611	0.08			
612	जुज 0.04	सर्वे नं.	रकबा	अर्जित
613	जुज 0.04		(हे. में)	संपत्तियों का
614/1	जुज 0.03			विवरण
617	जुज 0.03	(1)	(2)	(3)
1015	जुज 0.08	430	0.138	
1016/1	जुज 0.13	442	0.400	
1042	जुज 0.04	444	0.400	
1043	0.02	445	2.429	
1044	जुज 0.05	450/1	0.105	
1051	जुज 0.03	450/3	0.105	
1054/1	जुज 0.04	451/2	0.132	
1056	जुज 0.03	451/3	0.160	
1058/1	जुज 0.01	451/1 पै.	0.040	
1058/2	जुज 0.02	451/1 पै.	0.050	
1058/3	जुज 0.02	465/1	0.745	
1058/5	जुज 0.02	465/2	1.990	
1059	जुज 0.17	468	0.271	
कुल रकबा योग . .	<u>21.32</u>	469	4.403	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है:—छत्रसाल कोल ब्लाक तक सड़क (पहुंच मार्ग) एवं बुनियादी संरचना हेतु.		473	0.360	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बैद्धन के कार्यालय में देखा जा सकता है.		474/1	0.686	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		474/2	0.686	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		475	0.164	
गरोठ, दिनांक 2 जून 2011		477/2	0.202	
प्र. क्र. 05-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		478/2	0.917	
		480/2	1.394	कुआ पक्का 1
		481	0.300	
		489	1.235	संतरा पौधे 185
		490	0.664	
		491	0.732	
		505/4	0.117	आम पोधा 1
		509/2	0.236	
		477/1	2.255	
		508	0.300	
		509/1	0.350	

(1)	(2)	(3)
511/1	0.510	
511/2	0.370	
योग :	<u>22.846</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—सांदलपुरा तालाब (द्वितीय पूरक प्रकरण) निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
सागर, दिनांक 3 जून 2011

प्र. क्र.-07 अ-82-वर्ष-2010-11-4419.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—गढाकोटा
- (ग) ग्राम—परासिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
264	0.05
267/1	0.13
193/1	0.03
147	0.15
योग . .	<u>0.36</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनानंतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम परासिया के उन्नयन एवं सुदूर्धीकरण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-07 अ-82-वर्ष-2010-11-4421.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—गढाकोटा
- (ग) ग्राम—कैंकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66 में से	0.01
69 में से	0.07
70 में से	0.02
33 में से	0.04
35 में से	0.04
योग . .	<u>0.18</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनानंतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम कैंकरा के उन्नयन एवं सुदूर्धीकरण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-08 अ-82-वर्ष-2010-11-4418.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
- (ख) तहसील—गढाकोटा

- (ग) ग्राम—रोन  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
265/2	0.04
265/4	0.07
420	0.01
422	0.01
423	0.02
424/1	0.02
453/2	0.01
योग . .	<u>0.18</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम रोन के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु।  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-16 अ-82-वर्ष-2010-11-4420.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
 (ख) तहसील—गढ़ाकोटा  
 (ग) ग्राम—गढ़ाकोटा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.212 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
388	0.16
110/1	0.15
113/1	0.50
180/1	0.17
180/2	0.004
180/3	0.008
179/1	0.04
94/1	0.18
योग . .	<u>1.212</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत सागर-दमोह मार्ग (राज्य मार्ग क्र. 14) ग्राम गढ़ाकोटा के उन्नयन एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु।  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी महोदय रहली के कार्यालय में किया जा सकता है।  
 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश एवं  
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
 इंदौर, दिनांक 12 मई 2011

क्र.-1601 भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर  
 (ख) तहसील—सांवेर  
 (ग) नगर/ग्राम—रांवेर  
 (घ) कुल क्षेत्रफल—0.377 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
84/1/1	पार्ट
84/1/3	पार्ट
216/3	पार्ट
योग . .	<u>0.377</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:—ज्यामितीय सुधार हेतु एवं रांवेर जवान निर्माण बाबत्.  
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।